मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2019-20

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019 - 2020

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रीगण एवं अधिकारीगण**	1 - 2
	भाग - एक	3 - 61
2.	**विभागीय संरचना**	3 - 11
	2.1 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
	(क) राजनैतिक	
	(ख) सामान्य	
	(ग) नियुक्तियॉ एवं सेवाएं	
	(घ) प्रशिक्षण	
	(च) प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता	
	(छ) कर्मचारी कल्याण	
	(ज) विविध	
	2.2 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	
	2.3 विभाग के आयोग एवं कार्यालय	
	2.4 विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं का नाम	
3.	**विभाग के महत्वपूर्ण विषय**	12 - 38
	3.1 मंत्रि-परिषद	
	3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम	
	3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	
	3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स	
	3.5 मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा	
	3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान	
	3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण	
	(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार	
	(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार	
	(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार	
	(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार	
	(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार	
	(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सदभावना पुरस्कार	
	(7) सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार	
	(8) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	
	(9) स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार	

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या

(10) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

3.13 कार्मिक नीति

3.14 आरक्षण

3.15 लेखा शाखा

3.16 कर्मचारी कल्याण

3.17 कार्य नीति

3.18 निरीक्षण

3.19 प्रशासनिक सुधार

(1) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

(2) जन सुनवाई

(3) परख

(4) मंत्रालय में ई-ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन

(5) प्रभारी सचिव

(6) आपकी सरकार आपके द्वार

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

3.21 संसदीय कार्य

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

3.24 स्थापना सम्बन्धी कार्य

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ-श्रेणी स्थापना)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
4.	**विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियां**	39 - 61
	4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	
	4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी	
	4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	
	4.4 लोकायुक्त संगठन	
	4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ	
	4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) संगठन	
	4.7 विभागीय जांच आयुक्त	
	4.8 आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन, नई दिल्ली	
	4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	
	4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	
	4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति	
	4.12 राज्य सत्कार कार्यालय	
	भाग - दो	62 - 63
5.	**बजट**	
	5.1 मांग संख्या - 01	
	5.2 मांग संख्या - 02	
	भाग - तीन	64 - 65
6.	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	भाग - चार	66
7.	जांच आयोग	
	भाग - पांच	67
8.	अभिनव योजना/कार्य	
	भाग - छः	67
9.	निकाले जा रहे प्रकाशन	
	भाग - सात	68
10.	महिला सशक्तिकरण	
	भाग - आठ	69
11.	सारांश	
	परिशिष्ट - एक - सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों मे कार्य आवंटन	70 - 79
	परिशिष्ट - दो - राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची	80 - 81

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019 - 2020

1. सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण

मुख्यमंत्री	श्री कमल नाथ
मंत्री	डॉ. गोविन्द सिंह
मुख्य सचिव	श्री एस. आर. मोहंती
अपर मुख्य सचिव	श्री के.के. सिंह
प्रमुख सचिव (कार्मिक)	श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी
सचिव	श्री आशीष सक्सेना
उप सचिव	श्री संजीव श्रीवास्तव श्री धरणेन्द्र कुमार जैन श्रीमती मनीषा सेंतिया श्रीमती अर्चना सोलंकी (कार्मिक) श्रीमती माधवी नागेन्द्र डॉ. अमिताभ अवस्थी श्री एस.सी.रामसरिया
राज्य शिष्टाचार अधिकारी पदेन उप सचिव	श्री विकास मिश्रा

अवर सचिव	श्रीमती मधु नाहर श्री ब्रजेश सक्सेना श्रीमती रंजना पाटने श्री एम. के. बातव (कार्मिक) श्री सुनील मड़ावी श्रीमती श्यामबाई धुर्वे श्री फजल मोहम्मद
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	रिक्त
उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन)	रिक्त
मुख्य लेखा अधिकारी	श्रीमती संतोष सोनकिया
वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं पदेन उप सचिव (लेखा)	श्री सतीश उपाध्याय
लेखा अधिकारी	श्री दीपक धगट
सत्कार अधिकारी	श्री संजय सिंह चौहान

भाग - एक

2. विभागीय संरचना

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का मुख्य विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से नीति संबंधी विषय, अन्तर्विभागीय समन्वय, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियम/निर्देश, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवायें, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, सतर्कता तथा प्रशिक्षण तथा राज्यपाल सचिवालय से संबंधित कार्य संपादित किए जाते है।

विभाग में कार्य संपादन हेतु वर्तमान में एक अपर मुख्य सचिव, एक प्रमुख सचिव (कार्मिक), एक सचिव, सात उप सचिव, एक राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (रिक्त), एक मुख्य लेखा अधिकारी, सात अवर सचिव, एक उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन) (रिक्त), एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं पदेन उप सचिव (लेखा), एक सत्कार अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी पदस्थ हैं।

विभाग के इक्कीस कक्ष तथा सात प्रकोष्ठ हैं। कक्षों एव प्रकोष्ठों में संपादित होने वाले कार्यों का विवरण **परिशिष्ट - एक** पर दर्शाया गया है।

विभाग में प्रतिपादित महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(2.1) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा छुट्टी के संबंध में अधिकार
3. राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना
4. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते
5. उच्च न्यायालय का गठन तथा संरचना
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग-पत्र, वेतन, अवकाश, पेंशन तथा भत्ते
7. राजस्व मण्डल-अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
8. संघ लोक सेवा आयोग से समन्वय
9. राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित मामले -

   (एक) सेवा की शर्ते

   (दो) कृत्यों का परिसीमन
10. राज्य निर्वाचन आयोग

11. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य :

(क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए नोडल विभाग के रुप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(1) भारत सरकार,

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,

(3) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य

राजनैतिक

12. राजनैतिक क्रियाकलाप
13. पाक्षिक प्रतिवेदन
14. कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स)
15. भारत- पाक संबंध
16. युद्ध और शांति
17. संयुक्त राष्ट्र संघ
18. भारत की प्रतिरक्षा
19. नौ सेना, थलसेना, वायुसेना
20. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन
21. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात् -

(एक) एकीकरण करार

(दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियाँ, निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते

(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोह के रुप में मनाये जाने वाले समारोह, और

(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय

22. पारितोषक और अलंकरण
23. राष्ट्रीय एकीकरण
24. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
25. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय
26. क्षेत्रीय परिषद्
27. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण
28. प्रादेशिक सेना
29. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध
30. सम्मेलन-संसद सदस्य/आयुक्त/कलेक्टर

31. जिला सलाहकार समितियां
32. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
33. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
34. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि
35. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जन-सम्पर्क दौरे
36. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन
37. मीसा बन्दियों को सम्मान निधि

सामान्य

38. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत
39. राज्य चिन्ह
40. राष्ट्रीय त्यौहार
41. राज्य के उत्सव और समारोह
42. शासकीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय कैलेण्डर
43. शासकीय पोशाक
44. पूर्वता-अधिपत्र
45. महत्वपूर्ण घटनाएं
46. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना-संदेश
47. अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आगमन
48. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
49. मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से संबंधित विषय
50. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
51. शासकीय भवनों का नामकरण
52. राजपत्र (असाधारण)
53. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी

नियुक्तियां एवं सेवाएं

54. भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा से संबंधित समस्त विषय (वित्त विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ - नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियाँ, भविष्य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियाँ, दण्ड तथा अभ्यावेदन
55. सिविल सेवा और सेवावृत्त
56. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण
57. वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्लानिंग)

58. मंत्रालय -
    (एक) अधिकारी तथा स्थापना
    (दो) प्रशासनिक सुधार
    (तीन) भवन
59. मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव
60. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय
61. राज्य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम और आदेश जारी करना
62. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना
63. समन्वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित)
64. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेवाओं के लिए भर्ती की नीति अवधारित करना
65. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र और पूर्ववत् तथा उपयुक्तता का सत्यापन करने के बारे में सामान्य नीति
66. श्रेणी (ग्रेड्स), वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना
67. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं, प्रारुपित तथा प्रवर्तित किए गए हैं
68. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, नि:शक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों एंव महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति
69. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिए युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना
70. पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना
71. विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का समय पर आयोजन तथा प्रोन्नत व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे की उचित रुप से पूर्ति सुनिश्चित करना
72. परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों के पालन का पर्यवेक्षण
73. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्ते आदि तय करना
74. सामान्य स्वरुप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना
75. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति
76. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति

प्रशिक्षण

77. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति
78. नव नियुक्तों के लिए तथा साथ ही पुनश्चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना
79. प्रशासन-प्रशिक्षण-आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय
    (क) विभागीय परीक्षाऐं

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता

80. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति
81. कर्मचारी निरीक्षण इकाई
82. प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ
83. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त
84. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी
85. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (22.6.12 से परिवर्तित) से संबंधित कार्य
86. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय
87. विशेष पुलिस स्थापना
88. जांच आयोग

कर्मचारी कल्याण

89. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी (सेवा) संघों को मान्यता देना
90. संयुक्त परामर्शदात्री समिति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन
91. मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के निर्वाचित प्रदेश एवं जिला स्तर कर्मचारी पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट संबंधी

विविध

92. विभागीय नीति से भिन्न सामान्य नीति संबंधी प्रश्न, जिसमें ऐसे अवशिष्ट विषय सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य सूची में न आए हों
93. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी
    (दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी
94. स्थानान्तरण नीति

95. गोपनीय चरित्रावली
96. नवनिर्मित जिलों के नवीन पदों का सृजन
97. विभागाध्यक्ष घोषित करने संबंधी कार्य
98. परख वीडियो कॉन्फ्रेंस
99. जनसुनवाई कार्यक्रम
100. कलेक्टर एवं कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन

(2.2) <u>विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम</u>

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम
2. मध्यप्रदेश शासन कार्य नियम
3. मध्यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गए नियम
4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1957
7. मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008
8. मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972
9. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गए नियम
10. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गए नियम
11. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979
12. जांच आयोग अधिनियम, 1952
13. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
14. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995
15. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994
16. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998
17. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002
18. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997

19. भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985
20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
21. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
24. मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005
25. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित)
26. मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018
27. मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 2011
28. म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013
29. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012)
30. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012
31. मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018

(2.3) विभाग के आयोग एवं कार्यालय

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	राजभवन सचिवालय	श्री मनोहर दुबे	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
		श्री अभय वर्मा	अपर सचिव
2	लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यालय भोपाल	श्री एन.के.गुप्ता	लोकायुक्त
		श्री यू.सी. माहेश्वरी	उप लोकायुक्त
		श्री सुशील कुमार पालो	उप लोकायुक्त
		श्री राजेन्द्र सिंह	सचिव
3	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन	अध्यक्ष
		श्री मनोहर ममतानी	सदस्य
		श्री सरबजीत सिंह	सदस्य
		श्री शोभित जैन	सचिव
4	मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	श्री बसंत प्रताप सिंह	राज्य चुनाव आयुक्त
		श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	सचिव
5	मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	श्री अरविंद कुमार शुक्ला	मुख्य सूचना आयुक्त
		श्री डी.पी.अहिरवार	सूचना आयुक्त
		श्री सुरेन्द्र सिंह	सूचना आयुक्त
		श्री राजकुमार माथुर	सूचना आयुक्त
		श्री विजय मनोहर तिवारी	सूचना आयुक्त
		डॉ. अरूण कुमार पाण्डेय	सूचना आयुक्त
		डॉ. गोल्ला कृष्णा मूर्ति	सूचना आयुक्त
		श्री राहुल सिंह	सूचना आयुक्त
		श्रीमती रेणु पन्त	वि.क.अ. सचिव
6	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	श्री भास्कर चौबे	अध्यक्ष
		डॉ. राजेश लाल मेहरा	सदस्य
		श्री चंद्रशेखर रायकवार	सदस्य
		श्री दिनेश जैन	सचिव

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
7	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल	श्रीमती वीरा राणा श्री अजीत कुमार	महानिदेशक संचालक
8	विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त कार्यालय भोपाल)	श्री अनिल कुमार	महानिदेशक
9	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल	श्री सुशोभन बनर्जी	महानिदेशक
10	विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय, भोपाल	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	विभागीय जांच आयुक्त
11	मध्यप्रदेश भवन, नई-दिल्ली	श्री आई. सी. पी. केशरी श्री अनुराग जैन	आवासीय आयुक्त विशेष आयुक्त
12	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन, भोपाल	श्री सी.पी.अग्रवाल	मुख्य तकनीकी परीक्षक
13	राज्य सत्कार कार्यालय	श्री विकास मिश्रा	राज्य शिष्टाचार अधिकारी

(2.4) <u>विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम</u>

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. राज्य प्रशासनिक सेवा
3. मध्यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा
4. राजभवन, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, प्रशासन अकादमी और राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश सूचना आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय

3. विभाग के महत्वपूर्ण विषय

3.1 मंत्रि - परिषद

(1) प्रदेश मंत्रि-परिषद में 29 सदस्य हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 28 मंत्री हैं।
(2) वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभागों की 12 मंत्रि-परिषद् समितियां गठित/पुर्नगठित की गई।

3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

राज्य शासन के कार्य के सुविधाजनक संपादन हेतु संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के तहत निम्नलिखित नियम बनाये गए हैं:-

(1) मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम

(2) मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम को दिनांक 31/07/2017 एवं मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम को दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में अद्यतन किया जाकर प्रकाशित कराया गया।

राज्य शासन का कार्य, कार्य आवंटन नियमों के तहत 68 विभागों में विभक्त था। तात्कालिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 15 विभागों को विलोपित किया गया है, साथ ही 09 विभागों का नाम परिवर्तित भी किया गया है। अतः वर्तमान में 53 विभाग क्रियाशील हैं। विभागों की सूची **परिशिष्ट - दो** पर है।

3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जबलपुर में एवं खण्डपीठें इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थित हैं।

3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स

विभिन्न शासकीय आयोजनों हेतु पूर्वता अधिपत्र **आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स** का निर्धारण संबंधी अधिसूचना दिनांक 23/12/2011 को जारी की गई।

3.5 मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा

वर्ष 2019 में श्री स्वामी सुबुद्धानंद जी, अध्यक्ष, मठ-मंदिर सलाहकार समिति को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया।

3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान

मंत्रि-परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले स्वेच्छानुदान की वार्षिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:-

मुख्यमंत्री	-	रु. दो करोड़
मंत्री	-	रु. पचास लाख **
राज्य मंत्री	-	रु. पैंतीस लाख**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में ₹122.74 करोड़ का प्रावधान है।

उपरोक्त वार्षिक सीमा के अध्यधीन नियम के अंतर्गत किसी एक प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकतम रुपये दो लाख, माननीय मंत्री द्वारा रुपये बीस हजार एवं माननीय राज्यमंत्री द्वारा रुपये सोलह हजार की राशि स्वीकृत की जा सकती है।

* मंत्रीगण के जनसम्पर्क दौरे के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र में रुपये दो लाख पचहत्तर हजार के मान से राशि प्रावधानित की गई है जिसमें से जिलों के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गए अनुमोदन के आधार पर जिलाध्यक्ष स्वीकृति जारी करते हैं। इस मद से राशि के व्यय हेतु योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वविवेक से करते हैं। इस मद के तहत विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित होने वाली रुपये दो लाख पचहत्तर हजार की राशि में से रुपये पचहत्तर हजार की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित रहती है, जिसकी अनुशंसा माननीय लोक सभा सांसद द्वारा की जाती है।

* (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2004/एक(1) दिनांक 10/06/2006 एवं 21/02/2011 द्वारा संशोधित)

** (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2014/एक(1) दिनांक 23/04/2016 द्वारा संशोधित)

माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि	कुल आदेश
2019-20	₹122,74,49,000	₹87,72,70,302	1676

माननीय मंत्रीगणों के स्वेच्छानुदान मद से राशि वितरित करने के संबंध में कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित कलेक्टर द्वारा पूर्व में ई-पेमेंट के माध्यम से संबंधित हितग्राही/संस्थाओं को राशि का भुगतान किया जाता था। अब चैक के माध्यम से भुगतान के निर्देश जारी किए गए हैं।

3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण

(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार

सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों द्वारा अदम्य साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौ सेना, वायु सेना मेडल, मेन्शन इन डिस्पेचेज, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल (विशिष्ट सेवा) एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाते हैं। उक्त शौर्य से सम्मानित सैनिक/असैनिक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, को राज्य शासन की ओर से नगद अनुदान एवं भूमि के एवज में नगद अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार

प्राकृतिक संकट में ग्रस्त व्यक्तियों, कुख्यात डाकुओं, असामाजिक तत्वों द्वारा घटित घटना, असामाजिक उपद्रवों तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि के समय व्यक्ति/व्यक्तियों /जनसमूह के प्राणों की रक्षा करने में वीरता तथा साहस का परिचय देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को शासन की ओर से नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र दिये जाते हैं। दिये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सर्वोत्तम वीरतापूर्ण कार्य	₹25,000/-
2. उत्तम वीरतापूर्ण कार्य	₹15,000/-
3. वीरतापूर्ण कार्य	₹10,000/-

(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार

विभाग द्वारा प्रदेश के स्थाई निवासी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यों के लिए महाराणा प्रताप शौर्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत रुपये एक लाख केवल का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार

प्रदेश सरकार ने युवाओं में धर्म निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बढाने, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एकता एवं मानवता की सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिए संत महापुरुषों के नाम पर ₹50,000 - 50,000/- एवं प्रशंसा-पत्र के पांच पुरस्कार निम्नानुसार स्थापित किए गए हैं:-

1. कबीर राज्य सम्मान पुरस्कार
2. शंकराचार्य राज्य सम्मान पुरस्कार

3. गुरुनानक राज्य सम्मान पुरस्कार
4. गौतम बुद्ध राज्य सम्मान पुरस्कार
5. रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार

(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार

राज्य शासन ने अशासकीय संस्था तथा कार्यकर्ता (अशासकीय व्यक्तियों) के द्वारा अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए निर्धारित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में श्रेयस्कर कार्य किया हो साथ ही शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पांच पुरस्कार ₹25,000 - 25,000/- एवं प्रशंसा-पत्र के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं।

(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार

राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न धर्मों/ सम्प्रदायों/ समाजों में व्याप्त कुरीतियों/ कटुता/ वैमनस्य को दूर कर सामाजिक सद्भावना स्थापित करने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंजीकृत संस्था को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से ₹1.00 लाख का भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार स्थापित किया है। यदि पुरस्कार के लिए एक से अधिक संस्थाऐं पात्र होगीं तो पुरस्कार राशि, उनमें बराबर-बराबर वितरित की जावेगी।

(7) सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार

संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक-68 पर कार्यवाही के तहत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने के लिए संबंधित विभागों में ''सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना'' लागू की गई है। उक्त पुरस्कार योजना अंतर्गत मांग संख्या-2 में वर्ष 2019-20 हेतु ₹12.00 लाख का प्रावधान है।

(8) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को पहल, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य/कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्ति/समूह/संस्था तीनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार के स्थान पर व्यक्ति (Individual)/दल (Team)/संस्था (Institution) की एक ही श्रेणी में उपयुक्त प्रविष्टियों में प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों की दो श्रेणियां एवं राशि निम्नानुसार है:-

1. मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी ''क'' - 10 पुरस्कार (प्रत्येक के लिए पुरस्कार राशि ₹1.25 लाख एवं प्रशस्ति-पत्र) यह पुरस्कार ऐसे प्रतिभागी जिनका कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण प्रदेश, परिक्षेत्र अथवा एक से ज्यादा जिलों में विस्तारित हो, के लिए प्रदान किया जावेगा।

2. मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी ''ख'' - 10 पुरस्कार (प्रत्येक के लिए पुरस्कार राशि ₹1.25 लाख एवं प्रशस्ति-पत्र) यह पुरस्कार ऐसे प्रतिभागी जिनका कार्यक्षेत्र कोई जिला विशेष हो, के लिए प्रदान किया जावेगा।

(9) स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार

स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा की स्मृति में प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके उत्तम कार्य के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य से ''स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार'' स्थापित किया गया है। उक्त पुरस्कार के अंतर्गत ₹1,00,000/- का प्रावधान है।

(10) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

प्रदेश के प्रादेशिक सेना अलंकरण एवं प्रादेशिक सेना मेडल से सम्मानित सैनिकों को पुरस्कृत होने पर राज्य शासन की ओर से क्रमशः ₹5,000/- एवं ₹3,000/- नगद पुरस्कार स्वीकृत किए जाते हैं।

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

प्रादेशिक सेना सागर/महू को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाये जाने वाले प्रादेशिक सेना दिवस के आयोजन हेतु इस विभाग द्वारा नगद अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

अन्तर्विभागीय समिति के गठन के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 43 अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं।

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को जिलाध्यक्ष के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतकों के परिवार को अधिकतम ₹15,000/- एवं गंभीर घायलों को ₹7,500/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

सहायता हेतु ग्लोबल बजट घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर स्वयं राशि आहरित कर रहे हैं।

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान निधि नियम, 1972 की कंडिका-2 के अंतर्गत जिन्होंने आजादी की लड़ाई में वर्ष 1919 से 1946 तक की अवधि के दौरान भाग लिया है, ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाता है एवं नियम 3 की पूर्ति करने वालों को सम्मान निधि भी स्वीकृत की जाती है। साथ ही राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है एवं आजादी की लड़ाई वर्ष 1919 से 1946 के बाद के भी कतिपय आंदोलनों यथा भूतपूर्व भोपाल राज्य सन् 1949 मे हुए गोलीकांड, गोवा मुक्ति आंदोलन, 15 अगस्त, 1955 में भाग लेने वालों को भी सम्मान निधि स्वीकृति का प्रावधान है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -

1. राज्य शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में ₹25,000/- प्रतिमाह दिनांक 12/04/2016 से राज्य सम्मान निधि की गई है।
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरण भी राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
3. राज्य सम्मान निधि प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गवास होने पर उनकी अन्त्येष्टि आदि के लिए ₹4,000/- की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है।
4. राज्य सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नांकित सुविधायें राज्य सम्मान निधि तथा केन्द्रीय सम्मान निधि पाने वाले सेनानियों को दिए जाने के निर्देश है:-
    - मृत सेनानी के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता
    - सेनानी के पुत्र- पुत्रियों के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश।
    - प्रदेश के सेनानियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सहायता एवं उपचार।
    - सेनानी के पुत्र-पुत्रियों को मेडिकल कालेज में स्थान आरक्षण की सुविधा।
    - सेनानी के पौत्र एवं पौत्रियों के लिए इंजिनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण।
    - सेनानी के पुत्र एवं पौत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में समस्त पॉलीटेकनिक तथा उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों एवं कला निकेतन, जबलपुर की उच्चतर माध्यमिक तकनीकी पाठ्यक्रम एवं प्रिंटिंग टेक्नालॉजी पत्रोपाधि में प्रवेश हेतु आरक्षण।
    - सेनानियों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के समय सम्मान देने हेतु शासन का प्रतिनिधित्व।

- मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित भू-खण्डों एवं निर्मित भवनों का आवंटन आरक्षण।
- मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986 में दिनांक 27/11/2017 को किए गए संशोधन अनुसार ₹50,000/- तक चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे, ₹50,000/- से अधिक एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गंभीर रोगों के उपचार हेतु निर्धारित शासकीय दरों की सीमा तक राशि के चिकित्सा अनुदान के प्रकरणों के स्वीकृति के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को होंगे।
- राज्य सेनानियों को निःशुल्क डेंचर, चश्मा तथा श्रवण यंत्र दिये जाने की सुविधा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान निधि, चिकित्सा सुविधा आदि के लिए वर्ष 2019-2020 में ₹27,27,93,000 (सत्ताईस करोड़ सत्ताईस लाख तेरानंवे हजार) का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश स्वतंत्रा संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 तथा दिसम्बर, 2011 तक संशोधित नियमों तथा संबंधित आदेशों/निर्देशों का संकलन कर प्रकाशन जनवरी, 2015 में किया गया।

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

(1) मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018 के अंतर्गत ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें ₹8,000/- प्रतिमाह तथा ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें ₹25,000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी।

(2) लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि/चिकित्सा सुविधा आदि के लिए वर्ष 2019-2020 के लिए कुल राशि ₹40 करोड़ (चालीस करोड़) का प्रावधान किया गया है।

(3) दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की पत्नी/पति को सम्मान निधि का अंतरण एक माह में हो जाये, इस हेतु परिपत्र दिनांक 03/07/2017 को समस्त कलेक्टरों को जारी किया गया है।

(4) लोकतंत्र सेनानी, जो सम्मान निधि नहीं लेना चाहते हैं, को भी सभी शासकीय कार्यालयों में उचित सम्मान दिया जाकर उन्हें स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस/मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर आमंत्रित किया जाकर उन्हें उचित सम्मान दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु परिपत्र समस्त कलेक्टरों को दिनांक 07/07/2017 को जारी किया गया है।

(5) मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018 बनाया गया है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 09 अगस्त, 2018 को किया गया है।

(6) मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018 बनाये गये हैं। जिनका प्रकाशन राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को किया गया है।

3.13 कार्मिक नीति

(1) मध्यप्रदेश राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना के निर्देश दिनांक 02 फरवरी 2019 को जारी किए गए।

(2) संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को आयु सीमा के आधार पर 62 वर्ष के पूर्व सेवा से नही हटाए जाने के निर्देश दिनांक 08 फरवरी 2019 को जारी किए गए।

(3) विभागीय जांच प्रकरणों में जांच प्रक्रिया अपनाए जाने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु निर्देश दिनांक 13 फरवरी 2019 को जारी किए गए।

(4) तिलहन संघ के सेवायुक्तों को पांचवे, छठवें/सातवें वेतनमान का लाभ देने हेतु सहकारिता विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किए जाने के निर्देश दिनांक 29 मार्च 2019 को जारी किए गए।

(5) एक वर्ष से अधिक समय से निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा हेतु समिति गठन किए जाने के निर्देश दिनांक 09 अप्रैल 2019 को जारी किए गए।

(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार को प्राधिकृत किए जाने के निर्देश दिनांक 06 मई 2019 को जारी किए गए।

(7) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक बी.एस.सी. की परीक्षा आई.टी/कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी/कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किए जाने के निर्देश दिनांक 29 मई 2019 को जारी किए गए।

(8) राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाल पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन के निर्देश दिनांक 04 जुलाई 2019 को जारी किए गए।

(9) 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा करने के निर्देश दिनांक 06 जुलाई 2019 को जारी किए गए।

(10) प्रथम प्रसूति में जुड़वां संतान पैदा होने के उपरांत नसबंदी कराए जाने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी जैसा कि एक जीवित संतान

के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है संबंधी निर्देश दिनांक 11 जुलाई 2019 को जारी किए गए।

(11) शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) के प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) की वैद्यता अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष किए जाने के निर्देश दिनांक 24 जुलाई 2019 को जारी किए गए।

(12) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण के लिए जरुरतमंद बालक तथा बाल देखरेख संस्थाएं यथा-बालगृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, पश्चातवर्ती गृह एवं विपत्तिग्रस्त महिलाओं को संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु स्वाधार गृहों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु जिलों में कार्यरत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नामित करने के निर्देश दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए।

(13) शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिनांक 12 दिसम्बर 2019 को जारी किए गए।

(14) शासकीय सेवकों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच बिना दण्ड दिये समाप्त किए जाने वाल मामलों में प्रशासकीय विभाग स्वयं निर्णय लिऐ जाने हेतु निर्देश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 को जारी किए गए।

(15) राज्य शासन की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्देश दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को जारी किए गए।

(16) तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/स्थायी कर्मियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष निर्धारित किए जाने के निर्देश दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को जारी किए गए।

<u>लोक सेवा गारंटी</u>

जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत शामिल करते हुए इसकी प्रक्रिया ऑनलाईन कर डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से ही आवेदन पत्र लेकर डिजिटाईल लेमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र स्कूलों में ही वितरित करने के संबंध में एक विशेष अभियान दिनांक 01 जुलाई, 2014 से प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान की तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2020 निर्धारित की गई है। जाति प्रमाण पत्र के प्रदाय हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2020 तक 01 करोड़ 94 लाख 27 हजार 268 आवेदन प्राप्त

हुए, जिसमें से 01 करोड़ 85 लाख 17 हजार 765 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है।

दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत **सेवा क्रमांक 6.1** - कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कुल 17,76,079 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 17,09,282 आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.2** - कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कुल 16,58,047 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 16,08,827 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.3ए** - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कुल 4,44,688 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 3,61,695 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.3बी** - अन्य पिछडे वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कुल 4,02,869 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 3,33,904 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.3सी** - विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कुल 3,447 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 2,542 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.4** - राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय करने के संबंध में कुल 142 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 82 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.5** - हस्तलिखित मेनुअल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/घुमक्कड़ एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति जारी करने के संबंध में कुल 3,79,050 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 3,70,321 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.6** - ऐसे नागरिक जिसके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, को जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के संबंध में कुल 96,347 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 89,104 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

3.14 <u>आरक्षण</u>

(1) आरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निशक्तजनों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लोक सेवाओं एवं पदों में आरक्षण का निर्धारण, उनके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी नीति के निर्धारण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

(2) राज्य की लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत एवं आर्थिक

रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा सीधी भरती प्रक्रम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) (हॉरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेन्ट), नि:शक्तजनों के लिए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए 06 प्रतिशत (हॉरिजेण्टल) एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान है।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों व नि:शक्तजनों के आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान निरंतर जारी है।

(4) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि ''यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोक नगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिए आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अहर्ता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा''।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गृह विभाग में आरक्षक एवं राजस्व विभाग में पटवारी, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के मत्स्य निरीक्षक, सहकारिता विभाग के उप अंकेक्षक जो कि कार्यपालिक पद हैं, पर उक्त प्रावधान के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।

3.15 <u>लेखा शाखा</u>

मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं शासकीय भुगतानों की गणना/आयकर कटोत्रा एवं विभाग का त्रैमासिक व वार्षिक ईटीडीएस रिटर्न व फार्म-16 समय-सीमा में प्रेषित किया गया।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के अन्तर्गत समस्त शासकीय सेवकों के यूनिक एम्पलाई कोड बनाकर वेतन, भत्ते आदि का ई-भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह मंत्रालय में कार्यरत अशासकीय व्यक्तियों एवं सामग्री प्रदायकर्ताओं को वेन्डर कोड द्वारा ई-भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। इस तरह मंत्रालय में लगभग कैशलेस व्यवस्था लागू है।

3.16 कर्मचारी कल्याण

(1) शासकीय सेवकों की समस्याओं का आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान करने के लिए शासन द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री/विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति गठित की गई है, इन समितियों की बैठक कैलेण्डर वर्ष में चार बार अर्थात तीन माह में एक बार आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन के आदेश क्रमांक एफ 05-04/2019/1/15/क.क. दिनांक 08/03/2019 द्वारा प्रदेश के विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने अनुमति प्रदान की गई है।

3.17 कार्य नीति

स्थानान्तरण नीति

प्रतिवर्ष शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाने हेतु नीति जारी की जाती है। वर्ष 2019-2020 के लिए दिनांक 04 जून 2019 को स्थानांतरण नीति जारी की गई है। वर्ष 2019-2020 के लिए स्थानांतरण करने हेतु दिनांक 05 जून 2019 से 05 जुलाई 2019 की अवधि के लिए प्रतिबंध शिथिल किया गया था।

स्थानान्तरण प्रकोष्ठ

रिट पिटीशन क्रमांक 5260/2004 डॉ. जगतसिंह परिहार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मान. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के पालन में ''स्थानान्तरण नीति'' के विरुद्ध किए गए स्थानान्तरणों से संबंधित अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार स्थानांतरण के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है।

शासन द्वारा जारी ''स्थानांतरण नीति 2019-2020'' के विरुद्ध स्थानांतरण प्रकोष्ठ (सामान्य प्रशासन विभाग) में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से 14 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 03 अभ्यावेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं 11 अभ्यावेदनों पर कार्यवाही प्रचलित है।

गोपनीय प्रतिवेदन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में चैनल निर्धारित करने की कार्यवाही की जाती है एवं प्रतिवेदन लिखने के संबंध में नियमानुकूल मार्गदर्शन दिया जाता है।

3.18 निरीक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 06/09/2004 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर को निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए गए।

संभागीय आयुक्त मुख्यालय से बाहर कम से कम 5 रात्रि तथा जिला कलेक्टर 3 रात्रि विश्राम करेंगे। आयुक्त अपने अधिनस्थ प्रत्येक जिला कार्यालय का वर्ष में एक बार तथा कलेक्टर अपने अधीनस्थ तहसील कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 5 दिवस अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश हैं।

राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालयों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

3.19 प्रशासनिक सुधार

(1) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों/संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्धारित प्रारूप में मासिक डायरी का संधारण ऑनलाइन द्वारा किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मासिक डायरी में अधिकारियों द्वारा माह में अपने प्रभार के विभाग में जो भी प्रमुख निर्णय लिए गए हों अथवा प्रमुख कार्य किए गए हैं उनका विभागवार उल्लेख किए जाने के निर्देश हैं।

(2) जन सुनवाई

आम नागरिकों की समस्याओं को प्रशासन तंत्र के विभिन्न आयामों में पदस्थ अधिकारियों के सीधे बिना बाधा सहज रूप से सुनने एवं उनके निराकरण के उद्देश्य से विभागीय पत्र क्रमांक एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 13 जुलाई, 2015 में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30 जून, 2009 का संदर्भ देते हुए मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त विभागों/विभागाध्यक्ष/संभागायुक्त/ कलेक्टर्स को पुनः निर्देशित किया गया है कि ''विभागाध्यक्ष से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक जन सुनवाई करेंगे''। कतिपय जिलों में जिलों के कलेक्टर द्वारा स्थानीय व्यवस्था में जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) में जन सुनवाई की व्यवस्था प्रचलित है।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जन

सुनवाई कार्यक्रम, मंगल दिवस एवं टीकाकरण की कार्यवाही के कारण, मंगलवार की जगह बुधवार को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा समस्त संभागायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने संभाग के जिलों में एक वर्ष से अधिक जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभाग प्रमुख से चर्चा कर (न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) निराकरण योग्य प्रकरणों को तीन माह में निराकरण कराकर आवेदक को अवगत करावें एवं अद्यतन जानकारी से इस विभाग को भी अवगत करावें।

(3) परख

आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, राज्य शासन की प्रमुख योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु ''परख'' कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के तृतीय गुरूवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग का आयोजन किया जाता है।

(4) मंत्रालय में ई-ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन

शासकीय अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने, कार्य की गति को सुधारने, पारदर्शिता को बढावा देने, कार्यालयों को कागजरहित और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 05/02/2018 में अनुमोदन पश्चात मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली 02/04/2018 से लागू की गई है।

इसी प्रकार मंत्रालय में प्रचलित ई-ऑफिस की प्रक्रिया प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय/जिला कार्यालय में लागू करने हेतु आदेश दिनांक 28 जून 2019 द्वारा क्रमशः विभागाध्यक्ष एवं संभाग/जिला कार्यालय में दिनांक 02/10/2019 एवं 31/12/2019 से ई-ऑफिस प्रक्रिया लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

(5) प्रभारी सचिव

विभागीय परिपत्र दिनांक 26/06/2019 द्वारा जिलों की समस्याओं के निराकरण एवं शासन की योजनाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए शासन ने जिलों में प्रभारी सचिवों की व्यवस्था लागू करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के क्रम में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिवों व समकक्ष अधिकारियों को जिले आवंटित किए गए हैं।

विभागीय परिपत्र क्र. एफ 11-18/2019/1-9, दिनांक 19/11/2019 में यह निर्देश जारी किए गए हैं कि एन.आई.सी. द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर प्रभारी सचिव भ्रमण उपरांत अपना निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज करेंगे।

(6) आपकी सरकार आपके द्वार

ग्रामीण अंचलों में रहने वाली आम जनता की समस्याओं के हल एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आपकी सरकार आपके द्वार के संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 06/07/2019 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें प्रशासन और शासन को ग्रामीण नागरिकों के और करीब ले जाना एवं प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

राज्य शासन द्वारा सरकार की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामांकित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विभाग द्वारा विभागीय जानकारी पर आधारित 17 बिंदुओं का मैन्युअल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग एवं कार्मिक के लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए:-

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मूल आवेदनों की संख्या

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	कार्यवाई प्रचलित
758	700	58

प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या

प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	निराकृत अपील दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	कार्यवाई प्रचलित
108	104	04

कार्मिक से संबंधित प्राप्त मूल आवेदनों संख्या

प्राप्त कार्मिक से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	कार्यवाई प्रचलित
150	133	17

कार्मिक से संबंधित प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या

प्राप्त अपीलों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	निराकृत अपील दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019	कार्यवाई प्रचलित
34	27	07

3.21 संसदीय कार्य

वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक विधान सभा के दो सत्र आयोजित हुये। वर्ष 2018-19 के नवगठित विधानसभा सत्र के लिए माननीय राज्यपाल का अभिभाषण तैयार कराया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखा गया।

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत राज्य स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी के अंतिम राज्य आवंटन के पश्चात् अभ्यावेदनों पर सुनवाई हेतु गठित राज्य सलाहकार समिति की 28वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार समिति को वाईंड-अप किया गया है।

राज्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के राज्य आवंटन के अभ्यावेदन केस-टू-केस भारत सरकार द्वारा विचार में लिए जाने एवं गैर राज्य संवर्ग के कर्मचारियों के लिए दोनों राज्यों की सहमति से राज्य स्थानांतरण के दिशा-निर्देश संबंधी निर्णय लिए गए हैं। गैर राज्य संवर्ग के कर्मचारियों के राज्य स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देश बनाये जाने पर निर्णय लेने हेतु छत्तीसगढ़ शासन को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07/11/2019 एवं स्मरण पत्र दिनांक 12/12/2019 को प्रेषित किया गया है। निर्णय संबंधी प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

भारत सरकार से प्राप्त राज्य आवंटन के लंबित न्यायालयीन प्ररकणों पर विभिन्न संबंधित विभागों से भारत सरकार द्वारा वांछित जानकारी प्रेषित किए जाने हेतु समन्वय कार्य किया जा रहा है।

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय को निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है -

(1) **अधिकारी पुस्तकालय** (Officers' Library) :- इसमें हर विषय की पुस्तकें संकलित की गई है।

(2) **संदर्भ पुस्तकालयः**- इसमें अधिनियम (Acts), संहिता (Codes), नियमावली (Manual Gazette & Gazetteer, Census), रिपोर्टस आदि शासकीय एवं

अशासकीय कामकाज के प्रकाशन उपलब्ध है जो विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं।

मंत्रालय पुस्तकालय में लगभग 27689 पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हैं। 1971 के बाद क्रय की गई पुस्तकों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त गजट, रिपोर्ट, सेन्सस, पुराने गजेटियर जैसे इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जजमेन्ट, ए.आई.आर. (A.I.R.), सुप्रीम कोर्ट केसेज, 1997 से अब तक के बजट, समय-समय पर प्रकाशित होने वाले विनियोग लेखे एवं विभागों से आए हुए प्रतिवेदनों का संकलन उपलब्ध है।

(3) **उप पुस्तकालय -**

मंत्रालय में गजट, मध्य प्रदेश 1956 से 1980, भारत गजट 1956-1980, सेन्सस, इन्साक्लोपिडिया तथा प्राचीन पुस्तकों का संकलन उपलब्ध है। समय-समय पर बाहर से आए हुए शोधार्थियों की मांग पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(4) **मंत्रालय पुस्तकालय के अधीनस्थ अभिलेखागार कक्ष -**

पुस्तकालय एवं अभिलेख शाखा के अन्तर्गत दो अभिलेख कक्ष निम्नानुसार है-

(क) विन्ध्याचल भवन में विभिन्न विभागों द्वारा 5 साल से अधिक पुरानी नस्तियों को सीधे विन्ध्याचल स्थित अभिलेख कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष की क्षमता दस लाख नस्तियां रखने की है।

(ख) मंत्रालय अभिलेख कक्ष में सेन्ट्रल प्रोविन्सेज के अभिलेख जैसे, महाकौशल स्टेट, विन्ध्य प्रदेश स्टेट, रीवा स्टेट 1918, 1920 से 1956 तक की अवधि के अभिलेख उपलब्ध है। इस अभिलेख कक्ष में शोधार्थियों को शोध की सुविधाएं प्रदान की जाती है। शोधार्थियों से ₹1500.00 सुरक्षा निधि के रूप में लिए जाते हैं।

(5) **मंत्रालय पुस्तकालय का बजट व व्यय -**

पुस्तकालय हेतु आयोजना मद में राशि ₹4,00,000/- (रुपये चार लाख केवल) आवंटित की जाती हैं।

3.24 <u>स्थापना सम्बन्धी कार्य</u>

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(क) मध्यप्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनरीक्षण 2016 के लिए भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, भारत सरकार से इस बारे में जारी अधिसूचना दिनांक 30/12/2016 से भारतीय

प्रशासनिक सेवा की कुल प्राधिकृत संख्या 417 के स्थान पर 439 नियत की गई है। इसमें सीधी भरती के 306 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्ति के लिए 133 पद स्वीकृत किए हैं। वर्तमान में सीधी भरती के 257 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त 115 अधिकारी इस प्रकार कुल 372 अधिकारी कार्यरत हैं।

(ख) चयन सूची 2018 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 11/07/2019 को संपन्न कराई गई। भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/09/2019 से राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 10 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 2019 (01/01/2019 से 31/12/2019 तक) में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के निम्नानुसार पदोन्नति आदेश जारी किए गए:-

आवंटन वर्ष	पदोन्नत अधिकारियों की संख्या	वेतनमान
2016	10	वरिष्ठ समय वेतनमान
2011	25	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
2007	12	प्रवर श्रेणी वेतनमान
2004	07	अधिसमय वेतनमान
1989	06	मुख्य सचिव ग्रेड

(घ) अखिल भारतीय सेवाऐं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(3) के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले और 50 वर्ष की आयु/25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रकरणों की समीक्षा दिनांक 06 अगस्त, 2019 को संपन्न हुई। इसमें दिनांक 01/01/2018 से 30/06/2019 तक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 36 अधिकारियों और 50 वर्ष की आयु /25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 97 अधिकारियों तथा द्वितीय छःमाही में दिनांक 01/07/2018 से 31/12/2018 तक की अवधि में 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले 34 अधिकारियों तथा 50 वर्ष की आयु /25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 99 अधिकारियों की समीक्षा की गई एवं समिति की अनुशंसा भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

(ङ) भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट) की ई-फाईलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। पीएआर की ई-फाईलिंग को ऑपरेशनल करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) तैयार कराया गया है। वर्ष 2018-19 (01/04/2018 से 31/03/2019) के गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट) ऑन लाईन लिखे जाने के लिए सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के PAR प्रपत्र कम्प्यूटर में तैयार कर संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर स्वमूल्यांकन करते हुए निर्धारित चैनल अनुसार अपने प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को समय-समय पर PAR online एवं मैन्युअली भेजकर मतांकन की कार्यवाही पूर्ण कराई गई एवं मतांकन की कार्यवाही पूर्ण होने पर संबंधित अधिकारी को online PAR Disclose किए गए। अखिल भारतीय सेवा (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 एवं संशोधन नियम, 2017 दिनांक 15/06/2017 तथा PAR से संबंधित भारत सरकार के नियम/निर्देशों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वर्षान्त 2019-2020 (01/04/2019 से 31/03/2020) की अवधि के PAR online जनरेट किए जा रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से PAR के संबंध में प्राप्त 11 अभ्यावेदनों का रेफरल बोर्ड में निराकरण कराया गया है।

(च) मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III में 12, मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-IV में 03 और मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-V में 04 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया। इंडक्शन ट्रेनिंग में मसूरी, चंडीगढ एवं पंजाब में 10 अधिकारियों को तथा DFTT प्रशिक्षण में 08 भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं 03 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण में भेजा गया।

(छ) e-office कार्यप्रणाली के प्रथम चरण अंतर्गत मंत्रालय में पदस्थ समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अवकाश संबंधी समस्त प्रकरण e-office के माध्यम से स्वीकृत किए जा रहे हैं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मूल आवेदन एवं प्रथम अपील की समस्त नस्तियां भी e-office के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हैं।

(ज) वर्ष 2019 में निम्नानुसार उल्लेखनीय कार्य किए गए:-

1) दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। आलोच्य अवधि में 01 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच लंबित है। प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गई है। विभागीय जाँच समाप्त होने पर पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु शीघ्र ए.जी.एम.पी. भेजा

जावेगा। आलोच्य अवधि में उक्त 01 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को छोडकर शेष 21 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है।

2) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संबंधित 04 विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में प्रमोशन, एक्स इंडिया लीव्ह, पासपोर्ट, डी.एफ.एफ.टी. ट्रेनिंग एवं वर्ष में 25-50 एवं 15-50 की छानबीन समिति के लिए लगभग 375 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विजिलेंस स्टेट्स तथा एम्पेनलमेंट के संबंध में भारत सरकार को जानकारी भेजी गई।

3) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 की अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संबंधित कुल 47 शिकायतों का निराकरण किया गया।

4) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि में मध्यप्रदेश संवर्ग में आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीधी भर्ती के नवनियुक्त अधिकारियों के नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गयी। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त हुए अधिकारियों की पदोन्नति दिनांक से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गयी एवं तदानुसार वेतन भुगतान हेतु वेतन प्राधिकार पर्चियाँ जारी करने की कार्यवाही की गयी। उपरोक्त के अलावा आलोच्य अवधि में समय-समय पर स्थानांतरित हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नवीन पदस्थापना हेतु वेतन प्राधिकार पर्चियॉ जारी की गयी तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को स्वीकृत किए गए वरिष्ठ समय वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, अधिसमय वेतनमान, प्रमुख सचिव वेतनमान एवं मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप नियमानुसार वेतन निर्धारण कर वेतन प्राधिकार पर्चियां जारी करने की कार्यवाही की गई।

5) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन अचल संपत्ति विवरण नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत किए गए। सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अचल संपत्ति पत्रक वेबसाईट http://sparrow.eoffice.gov.in तथा www.gad.mp.gov.in पर प्रदर्शित रहते हैं।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

1. सीधी भर्ती/पदोन्नति

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद	-	873
कुल स्वीकृत पदों में से पदोन्नति के पद	-	437
कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती के पद	-	436
वर्ष में पदोन्नति से भरे हुए पद	-	01
वर्ष में सीधी भर्ती से भरे पद	-	28

* मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश के परिपालन में 04 फरवरी 2019 को तहसीलदार से उप जिलाध्यक्ष 01 पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही

कुल प्रकरण	-	112
वर्ष में निराकृत प्रकरण	-	28

3. कुल न्यायालयीन प्रकरण

कुल न्यायालयीन प्रकरण	-	141
निराकृत प्रकरण	-	44
लंबित प्रकरण	-	97
जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु शेष	-	24

4. पेंशन प्रकरण

कुल लंबित पेंशन प्रकरण	-	61
विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण के कारण लंबित पेंशन प्रकरण	-	34
निराकृत प्रकरण	-	09

5. अचल संपत्ति विवरण

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदस्थ समस्त 579 अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरण पत्रक विभाग को प्राप्त हुए हैं।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन किए जाने की व्यवस्था लागू किए जाने के उपरांत दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. क्रमोन्नति

दिनांक 01/01/2019 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 28/12/2019 को संपन्न हुई। उक्त क्रम में क्रमोन्नत अधिकारियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. अधिसमय वेतनमान	01
2. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	27
3. प्रवर श्रेणी वेतनमान	20
4. वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	47

7. पदक्रम सूची का प्रकाशन

दिनांक 01/04/2019 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की फोटोयुक्त पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया तथा उसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

8. प्रशिक्षण

राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 09 स्तरीय प्रशिक्षण हेतु विस्तृत कार्य योजना लागू है। उक्त प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्ययोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाकर 28 नवनियुक्त उप जिलाध्यक्षों को आधारभूत प्रशिक्षण, परिचयात्मक प्रशिक्षण एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के 31 अधिकारियों को मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त प्रशिक्षण देश एवं विदेश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया गया।

9. गोपनीय प्रतिवेदन

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के वर्ष 2018-19 के गोपनीय प्रतिवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) जनरेट किया गया। जिसके माध्यम से समस्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्षान्त 2018-19 के PAR Online से प्रस्तुत किया गया है।

10. भर्ती

वर्ष 2019 के लिए डिप्टी कलेक्टर्स की नियुक्ति हेतु 27 पदों का मांग पत्र /प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा गया।

11. पदोन्नति

01/04/2019 से 31/12/2019 की अवधि में तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख से उप जिलाध्यक्ष के पद पर 01 अधिकारी की मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश के परिपालन में पदोन्नति प्रदान की गई है।

12. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति

चयन वर्ष 2018 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में 10 पदों पर पदोन्नति से नियुक्ति प्रदान की गई है।

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की सम्पूर्ण स्थापना का कार्य संपादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में गैर सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं माननीय मंत्रीगणों की निजी स्थापना में विशेष सहायक एवं निज सचिव (वरिष्ठ वेतनमान) की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही भी इस कक्ष द्वारा की जाती है।

1. पदोन्नति

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पदोन्नति नियम, 2002 अपास्त किए जाने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित है।

2. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की दिनांक 01/04/2019 की स्थिति में फोटोयुक्त पदक्रम सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की गई।

3. विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण

मंत्रालय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के 12 प्रकरण एवं आपराधिक 04 प्रकरण प्रचलित हैं। सभी प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

4. न्यायालयीन प्रकरण

विगत वर्ष में 08 न्यायालयीन प्रकरण थे, जिनमें से 04 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। 05 नवीन न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुए हैं, अतः वर्तमान में 09 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित हैं। सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें आगे सतत कार्यवाही प्रचलित है।

5. पेंशन प्रकरण

माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक की अवधि में कुल 02 अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं। उक्त दोना अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है।

6. चल/अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के दिनांक 31/12/2019 की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक ई-फाईलिंग के माध्यम से online प्रस्तुत करने की कार्रवाई सम्पन्न की जा रही है।

7. मंत्रालयीन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को प्रदाय किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

स.क्र.	विषय	संस्थान जिसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय किया गया	प्रशिक्षण में सम्मिलित अधिकारियों की संख्या
1.	आचरण नियम एवं विभागीय जांच विषय	आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	30
2.	Basic skill for leadership	आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	03
3.	कार्यालय प्रबंधन विषय	आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	08
4.	अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर संवेदीकरण (Sensitization of Government functionaries on Issues Relating to Minorities)	आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	04

स.क्र.	विषय	संस्थान जिसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय किया गया	प्रशिक्षण में सम्मिलित अधिकारियों की संख्या
5.	Ethics and Values	आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	06
6.	Building Capacity to live a fulfilling Life	आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, बैंगलोर में राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से	03
7.	Inner Engineering Leadership Programme	ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर में राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से	02

8. e-office कार्यप्रणाली के प्रथम चरण अंतर्गत मंत्रालय में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मूल आवेदन एवं प्रथम अपील की समस्त नस्तियां एवं सामान्य भविष्य निधि की स्वीकृतियों संबंधी प्रकरण e-office के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

1. पदोन्नति

पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माह मई, 2016 से पदोन्नति संबंधी कार्यवाही स्थगित है। वर्ष 2019 में कुल 93 शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

2. नियुक्ति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में सीधी भरती हेतु प्रोफेशनल इग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित करा कर आवश्यकता अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन कर नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल 2019 के पश्चात सीधी भर्ती के प्रोफेशनल इग्जामिनेशन बोर्ड से चयनित सहायक ग्रेड-3 के 101 पद, शीघ्रलेखक के 13 एवं स्टेनोटापिस्ट के 08 इस प्रकार कुल 122 पदों की पूर्ति की गई है एवं सहायक ग्रेड-3 के 01 पद की पूर्ति सहारिया जनजाति वर्ग के अभ्यार्थी से की गई है। इसके अतिरिक्त सहायक ग्रेड-3 के 05 पदों की पूर्ति अनुकंपा के आधार पर की गई है।

3. प्रशिक्षण

वर्ष 2019-20 मे 42 मंत्रालयीन कर्मचारियों को आनंद शिविर कार्यक्रम प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

4. पदक्रम सूची का प्रकाशन

दिनांक 01/04/2019 की स्थिति वाली अनंतिम वरिष्ठता सूची बनाकर वेबसाईट पर जारी की गई।

5. विभागीय एवं आपराधिक प्रकरण

मंत्रालयीन सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के विरूद्ध 04 आपराधिक प्रकरण (02 सेवानिवृत्त, 02 कार्यरत) एवं 04 विभागीय जांच के प्रकरण प्रचलित हैं।

6. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण

जनवरी, 2019-20 में एक कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली गई तथा 02 कर्मचारियों का स्वर्गवास हुआ है। इस प्रकार कुल 03 पेंशन प्रकरण में से 02 का निराकरण हो चुका है एवं एक प्रकरण में उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के कारण कार्यवाही प्रचलित है।

7. चल-अचल संपत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दिनांक 31/12/2018 की स्थिति में चल/अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है एवं दिनांक 31/12/2019 के चल/अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को एकत्रित कर वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही प्रचलित है।

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ श्रेणी - स्थापना)

1. सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना, मंत्रालय की साफ-सफाई, देख-रेख/रख-रखाव तथा मशीन उपकरण एवं स्टेशनरी/फर्नीचर के क्रय संबंधी आदि कार्य, मंत्रीगण/अधिकारीगण के कक्षों की साज-सज्जा, सिविल/विद्युत/जल/सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य सम्पादित किए जाते हैं।

2. मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 635 पद स्वीकृत हैं।

3. वर्ष 2019 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में मंत्रालय के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों में 10 को भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई।

4. वर्ष 2019 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 19 कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं 06 कर्मचारी दिवंगत हुए। जिनमें 22 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

5. वर्ष 2019 में मंत्रालय में पदस्थ नवनियुक्त 06 भृत्यों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।

6. वर्ष 2019 में मंत्रालय के भा.प्र.से./अधिकारियों एवं शासकीय सेवकों-तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के 1300 स्थाई मंत्रालय प्रवेश-पत्र बनाये गए।

7. 02 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो निरंतर जारी है।

8. मध्यप्रदेश स्थापना दिवस (01 नवम्बर, 2019) समारोह के उपलक्ष्य में मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्रीजी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

9. आतंकवादी हिंसा में मारे गए परिवार के बच्चों की सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर मंत्रालय में दिनांक 19-25 नवम्बर, 2019 तक साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया, जिसमें दान स्वरूप प्राप्त राशि ₹24,240/- साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई।

10. प्रतिमाह वंदे मातरम् गान का आयोजन किया जाना।

निम्नलिखित शपथ कार्यक्रम सम्पन्न करायेः-

1. दिनांक 21/05/2019 को आतंकवाद विरोध दिवस का शपथ कार्यक्रम।
2. दिनांक 20/08/2019 को सांप्रदायिक सद्भाव दिवस।
3. दिनांक 31/10/2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस।
4. दिनांक 01/11/2019 को मध्यप्रदेश संकल्प दिवस।
5. दिनांक 19/11/2019 को राष्ट्रीय अखण्डता दिवस।
6. दिनांक 26/11/2019 को संविधान दिवस।
7. दिनांक 10/12/2019 को मानव अधिकार दिवस।
8. दिनांक 24/12/2019 को सुशासन दिवस।

4. विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के पद भरे हैं।

(2) वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभागों के कुल 586 पदों हेतु 05 विज्ञापन जारी किए गए।

(3) वर्ष 2019 माह दिसम्बर तक आयोजित सीधे साक्षात्कार द्वारा किए गए चयनः-

स.क्र.	परीक्षा का नाम	पद संख्या	आवेदन पत्र प्राप्त	परीक्षा में उपस्थित	सफल उम्मीदवार	साक्षात्कार में आमंत्रित	चयनित उम्मीदवार
केवल साक्षात्कार द्वारा चयन							
1.	पुरातत्ववेत्ता, संस्कृति विभाग	3	59	---	---	18	3
2.	संग्रहाध्यक्ष, संस्कृति विभाग	11	86	---	---	36	8
3.	चिकित्सा अधिकारी-2019 (बैकलॉग)	1065	1044	---	---	1002	547
4.	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/ सहायक शल्य चिकित्सक-2019 (बैकलॉग)	67		---	---		62
5.	सहायक संचालक योजना	12	413	----	----	56	12

4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

परिचय

अकादमी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। तत्समय इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री, लोक प्रशासन संस्थान था। संस्थान को वर्ष 1975 में वर्तमान परिसर में स्थानांतरित किया गया। 11 अक्टूबर, 2001 से इसका नाम प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा के नाम पर आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश रखा गया। राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्मित इस संस्थान को मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 1987 में प्रशिक्षण हेतु नोडल ऐजेंसी घोषित किया गया। राज्य की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था होने से यह मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 1992 में ओवरसीज डेव्लपमेंट अथॉरिटी, यू.के. तथा भारत सरकार के तत्वावधान में प्रायोजित ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' एवं ''जेण्डर प्लानिंग'' प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अकादमी क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत यह मध्यप्रदेश के अतिरिक्त कुछ राज्यों के प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। मार्च 1994 में इसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में अकादमी को भारत सरकार ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की श्रेष्ठ कार्य योजना के लिए भी सम्मानित किया है। वर्तमान में भी पुनः वर्ष 2018-19 में इस अकादमी को गुणवत्ता के लिए आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।

<u>प्रशासन अकादमी में उपलब्ध अधोसंरचना</u>

अकादमी मुख्य भवन में संकाय सदस्यों के कक्षों के अतिरिक्त आधुनिक सुविधाओं से लैस 10 स्मार्ट क्लास रूम, आधुनिक हॉल, 2 कॉंफ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, मिनी थिएटर, 04 कम्प्यूटर लैब एवं दो मंजिला ग्रंथालय स्थित हैं।

अकादमी परिसर में दो आवासीय छात्रावास हैं। अकादमी में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित अधिकारियों/प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु दोनों छात्रावासों में कुल 404 प्रशिक्षु अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था है। सभी कक्ष वातानुकूलित हैं। गेस्ट हाऊस में सात सुसज्जित कक्ष हैं।

अकादमी में सेवारत् अधिकारियों/कर्मचारियों के परिसर में निवास हेतु 81 आवासगृह स्थित हैं।

प्रशिक्षणार्थियों को खेलकूद सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से परिसर में बैडमिंटन, स्क्वॉश, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, वातानुकूलित जिम, बिलियर्ड कक्ष, योगा हॉल के अतिरिक्त फुटबॉल ग्राउण्ड एवं वॉलीबॉल कोर्ट उपलब्ध हैं।

<u>उद्देश्य</u>

अकादमी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए प्रशिक्षण नीति निर्माण में सहयोग एवं सलाह देना।
- सम्पूर्ण राज्य में आवश्यकतानुसार राज्य की अन्य सेवाओं को प्रशिक्षण के प्रबन्धन हेतु मार्गदर्शन देना।
- राज्य की उच्च सेवाओं के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयनित व पदोन्नत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की संरचना व आयोजन करना।
- प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्य करना।

- प्रशिक्षण के क्षेत्र में नये विकास को समाहित करने की दृष्टि से अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से सतत् संपर्क तथा सहयोग बनाये रखना।
- निम्नलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना:
  - i. भारत सरकार
  - ii. राज्य सरकार
  - iii. भारत सरकार के उपक्रम
  - iv. राज्य सरकार के उपक्रम
  - v. निर्वाचित जनप्रतिनिधि
  - vi. पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारी
  - vii. नगरीय विकास के पदाधिकारी
  - viii. स्वयंसेवी संस्थाएं
  - ix. जिला एवं प्रदेश स्तरीय अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं

लक्ष्य

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना, जो शिक्षा और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता हो।
- प्रशिक्षण के क्षेत्र में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना।
- समस्त लोक सेवकों के लिए दूरस्थ प्रशिक्षण पद्धति सहित, विविध पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसायिक दक्षता एवं नैतिकता के उच्च मापदण्डों को प्रोत्साहित करना।
- प्रशिक्षणार्थियों को इस योग्य बनाना, कि वे समाज को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे सकें।

गुणवत्ता नीति

गुणवत्ता नीति से आश्य उन प्रमुख नीतियों से है, जिन्हें लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से अकादमी के द्वारा लागू किया जाना है। इस अकादमी की गुणवत्ता नीति निम्नानुसार है:-

- दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मापदण्ड निर्धारित करना और उन्हे लागू करना ताकि सेवा प्राप्त करने वाले संगठनों एवं प्रशिक्षणार्थियों को संतुष्ट किया जा सके।
- समस्त कार्यों की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, उनका मानकीकरण करना एवं उनमें निरंतर सुधार लाना।

- सभी संबंधित वर्गों को ''गुणात्मक सुधार समूह'' में सम्मिलित कर गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाना।
- सभी संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत विकास के अवसर उपलब्ध कराना ताकि उनके व्यक्तिगत विकास के साथ ही संस्था का विकास हो।

उपलब्धियां

- अकादमी द्वारा वर्ष 2018-19 में 266 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें 14,097 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। वर्तमान में वर्ष 2019-2020 में दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 तक 480 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें 19,737 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा शासन के अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अकादमी को सौंपी गई है। अकादमी द्वारा चार आई.टी.मॉड्यूल तैयार कर एक-एक सप्ताह के बेसिक कम्प्यूटर, ई-गर्वेनेंस एवं कार्यालयीन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण/दो सप्ताह का एडवांस कम्प्यूटर एवं तीन सप्ताह का सायबर सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी में आयोजित किए जा रहे हैं।
- अकादमी द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन/लोक निर्माण विभाग के माध्यम से परिसर में स्वीमिंग पूल का निर्माण किया गया है। ऑडिटोरियम हॉल एवं ग्रंथालय का उन्नयन कार्य एवं दस क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित किया गया है।

अकादमी में स्थापित विशिष्टीकृत केन्द्र/परियोजना

अकादमी में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहायता से विशिष्ट विषयों के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में निम्नानुसार केन्द्र/परियोजना स्थापित है:-

- सेटकाम केन्द्र
- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट)
- नेशनल लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन परियोजना
- महिला संसाधन केन्द्र
- विश्व व्यापार संगठन केन्द्र
- ज्ञान प्रबंधन एवं सुशासन केन्द्र
- स्वामी विवेकानन्द पीठ
- हुडको चेयर

- सूचना का अधिकार परियोजना
- सेवोत्तम प्रकोष्ठ
- आई.टी.पी. परियोजना

बजट

मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी को मांग संख्या-01 मुख्य शीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-003 प्रशिक्षण (2716) के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 के लिए राजस्व अनुभाग मद में कुल राशि ₹11,34,96,000/- एवं पूंजीगत अनुभाग मद में राशि ₹3,21,42,000/- इस प्रकार 2019-2020 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत अनुभाग में कुल ₹14,56,38,000/- स्वीकृत किया गया है।

4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग का कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई करना तथा वर्षान्त में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना है।

आयोग को वर्ष 2019-20 के लिए ₹972 लाख का बजट आवंटित है। आयोग को वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान में चार माह हेतु लेखानुदान राशि ₹226 लाख प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में म.प्र. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं 07 राज्य सूचना आयुक्त हैं।

राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की जानकारी

क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक	निराकृत आवेदनों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक
1	496	485

राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील आवेदन प्राप्त एवं निराकृत की जानकारी :-

क्र.	प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक	निराकृत प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक
1	66	61

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत अपीलों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक	पिछले वर्षों की लंबित अपीलों सहित निराकृत द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक
1	4433	6469

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त आवेदनों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक	निराकृत आवेदनों की संख्या दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक
1	952	921

4.4 <u>लोकायुक्त संगठन</u>

भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य शासन द्वारा 1 मार्च, 1964 को राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया, जिसे समाप्त कर दिनांक 14/02/1982 को लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (4) के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा प्रतिवर्ष संपादित कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन एवं हिन्दी रूपान्तर के साथ विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक निष्पादित कार्य के संबंध में संक्षिप्त टीप एवं आंकड़ों सहित जानकारी निम्नानुसार हैः-

1. दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक की अवधि में संगठन में कुल 4114 शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिसमें से 3628 शिकायतें निराकृत की गई एवं उनमें से 486 जांच हेतु पंजीबद्ध की गई है।
2. शासन के विभिन्न विभागों से दण्डित 42 प्रकरणों में अधिकारियो/कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर दण्डित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। संगठन में इस अवधि में 606 प्रकरण समाप्त किए गए हैं।
3. लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना में संगठन में दिनांक 01/04/2019 से दिनांक 31/12/2019 तक रिश्वती मामले के संबंध में (ट्रेप) 210 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में (छापा) 26 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, पद के दुरूपयोग के संबंध में 31 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इस प्रकरण उपरोक्त अवधि में कुल 267 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। वर्ष 2019 में 26 छापों के प्रकरणों में लगभग ₹34,49,20,315/- की संपत्ति प्रथम दृष्टया उजागर हुई है।

4. लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना की इकाईयों द्वारा विभिन्न माननीय विशेष न्यायालयों में दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक 155 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किए गए।
5. लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना में पंजीबद्ध प्रकरणों में विभिन्न माननीय विशेष न्यायालयों द्वारा दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक कुल 175 प्रकरणों में आरोपीगण को सजा से दंडित किया गया है। लोकायुक्त संगठन की शिकायत एवं जांच शाखा में उक्त अवधि में ₹7,23,97,697/- की राशि वसूल किए जाने के शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ

भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का गठन 15/02/1977 में किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा शासन के अधीन विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों के संबंध में प्रकरणों की जांच कर विवेचना पूर्ण होने पर विशेष न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही की जाती है। प्रशासनिक अनियमितता के मामलों में विभाग को विभागीय कार्यवाही हेतु लिखा जाता है। प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2019 में पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

अपराध				प्रारंभिक जांच		शिकायत	
पंजीबद्ध	चालान/ पूरक चालान	खात्मा	निराकरण योग	पंजीबद्ध	निराकरण	पंजीबद्ध	निराकरण
54	**18**	**22**	**40**	**25**	**46**	**353**	**360**

4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन द्वारा निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का स्तर तथा लागत व्यय को स्वीकार योग्य मापदण्ड के अनुरूप रखे जाने के संबंध में कार्यो का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति में जांच प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

नवीन प्रकरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	गंभीर प्रकरण	लंबित गंभीर प्रकरण	निराकृत गंभीर प्रकरण	शिकायत निराकृत	लंबित शिकायत	वसूली राशि (लाख में)
330	**1792**	**462**	**13**	**12**	**01**	**03**	**03**	**1635.08**

संगठन द्वारा वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2019-20 में प्राप्त ₹560.62 लाख के विरूद्ध कुल ₹382.53 लाख का व्यय दिनांक 31/12/2019 तक किया गया। संगठन में 29 पद रिक्त होने के कारण वेतन भत्ते के मद में कम व्यय हुआ है।

4.7 विभागीय जांच आयुक्त

राज्य शासन के अधीन पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही किए जाने हेतु आयुक्त, विभागीय जांच का गठन किया गया है। उक्त पद पर न्यायिक सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है। वर्तमान में इस पद पर श्री सतीश चंद्र मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ हैं।

दिनांक 31/12/2019 की स्थिति में उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	01 जनवरी, 2019 को पूर्व से प्रचलित लंबित प्रकरणों की संख्या	14
2.	31 दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त नये प्रकरणों की संख्या	13
3.	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	27
4.	31 दिसम्बर, 2019 तक निराकृत/वापिस किए गए प्रकरणों की संख्या	16
5.	शेष बचे प्रकरणों की संख्या	11

4.8 आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली

(1) नये मध्यप्रदेश भवन का निर्माण

नये मध्यप्रदेश भवन हेतु प्लाट नं. 29सी एवं 29डी जो जीसस एण्ड मेरी मार्ग तथा डा. राधाकृष्णन मार्ग के 'टी' जंक्शन पर 1.47 एकड़ भूखण्ड का आधिपत्य केन्द्र शासन से प्राप्त कर निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एनबीसीसी (इंडिया) को निर्माण ऐजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस भवन के निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा ₹149.87 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06/10/2018 को जारी की जा चुकी है। एनबीसीसी (इंडिया) के वास्तुविद द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई परियोजना से संबंधित नक्शों का अनुमोदन दिनांक 05/11/2019 को नई दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा प्रदाय कर दिया गया है। एनबीसीसी (इंडिया) द्वारा इस भवन के प्रथम चरण निर्माण हेतु निविदाऐं आमंत्रित कर नियुक्त ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(2) मध्यांचल विस्तार

नई दिल्ली में वसंत कुंज स्थित 'मध्यांचल' के पीछे खाली पड़ी दि.वि.प्रा. की 1186 वर्ग मी. भूमि को सघन प्रयासों के बाद दि.वि.प्रा. से लीज पर लेकर उसका आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया गया है। इस भूमि पर मध्यप्रदेश पुलिस के नई दिल्ली में पदस्थ सुरक्षाकर्मियों, जो वर्तमान में मध्यप्रदेश भवन के पीछे अनाधिकृत रूप से टेंटो एवं शेडों में अमानवीय परिस्थितियों में रहवास कर रहे हैं, के लिए बैरेक्स,

किचन, शौचालय, डाईनिंग रूम, मनोरंजन कक्ष के साथ कुछ अतिथि कक्ष एवं अधिकारियों एवं नवनिर्वाचित सांसदों हेतु ट्रांजिट आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया है। इस भवन निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा ₹45.03 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30/09/2019 को जारी की जा चुकी है। वर्तमान में एनबीसीसी (इंडिया) के वास्तुविद द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई परियोजना से संबंधित नक्शों का अनुमोदन दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन में प्रचलन में है।

(3) मध्यलोक का निर्माण

मध्यलोक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं नवी मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन से 'आक्यूपेंसी प्रमाण-पत्र' प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में मध्यलोक का संचालन शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

(4) मध्यप्रदेश के लिए राज्य के बाहर से धनराशि उपलब्ध कराई जाना और राज्य के मुद्दों का केन्द्र में अनुसरण

दिनांक 31/12/2019 तक केन्द्र से राज्य की ओर कुल ₹82,510.81 करोड़ से अधिक का अंतरण हुआ, इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर-वित्तीय उपलब्धियां भी रही।

(5) अन्य प्रमुख आयोजन

इस वर्ष निम्न प्रमुख आयोजन हुए:-

क. पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की नई दिल्ली के राजघाट पर स्थित समाधि ''कर्मभूमि'' पर उनकी जयंती दिनांक 19/08/2019 एवं पुण्यतिथि दिनांक 26/12/2019 के अवसर पर विशेष आयुक्त द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री मान. श्री पी.सी. शर्मा उपस्थित रहे।

ख. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2019 में राज्य की सराहनीय उपस्थिति रही। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश दिवस पर मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा की गई प्रस्तुतियों को उपस्थित दर्शकों द्वारा सराहा गया।

ग. भारत पर्व (26-31 जनवरी, 2019) तथा पर्यटन पर्व (02-06 अक्टूबर, 2019) के अवसरों पर मध्यप्रदेश के विशिष्ट व्यंजनों के स्टाल लगाए गए तथा मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक आर्यक्रम आयोजित किए गए।

घ. मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल में दिनांक 21 जून, 2019 को 'योग दिवस' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य जन सामान्य के मानव अधिकारों के हनन के मामलों में संज्ञान लेकर प्रकरणों की जांच करना है। आयोग द्वारा जनजागृति को लेकर अनेक प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आयोग मानव अधिकार हनन के कतिपय मामलों में अपने अनुसंधान दल की मदद से जांच करवाकर उन पर कार्यवाही करता है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक कुल 7517 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें पूर्व के लंबित प्रकरणों सहित 8290 शिकायतों/प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा मानव अधिकारों से जुड़े व्यापक जनहित के मुद्दों पर एवं समाचार-पत्रों में मानव अधिकार हनन से संबंधित प्रकरणों में संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है तथा जागरूकता कार्यक्रमों के साथ विकेन्द्रीकरण का सिलसिला भी शुरू हुआ है। अब प्रदेश के जिलों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई के लिए माननीय आयोग द्वारा भ्रमण कर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इसी श्रंखला में अब तक जिला सीहोर, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, दमोह, छतरपुर, दतिया, धार, शिवपुरी एवं सिवनी में जाकर लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया गया एवं नये आवेदन पत्रों पर भी सुनवाई की जा रही है।

दिनांक 01/04/2019 से दिनांक 31/12/2019 तक प्राप्त शिकायतों के निराकरण के दौरान आयोग द्वारा 40 प्रकरणों में राज्य शासन को अनुशंसाएं भेजी गई है। विगत वर्षों में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं में से शासन द्वारा 94 अनुशंसाओं का निराकरण किया गया है एवं वर्तमान में 282 अनुशंसाएं शासन के विभिन्न विभागों में पालन हेतु लंबित हैं।

मानव अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को सामान रूप से सामाजिक, आर्थिक/राजनीतिक न्याय दिलाने की परिकल्पना की गई है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग, भेद के आधार पर न हो, इस धारणा को ध्यान में रखकर आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-12 के दायित्वों/कर्तव्यों का निष्पादन अध्याय-5 के अधीन करता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा कार्य प्रणाली निर्धारित कर एक स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम का नाम ''पीड़ितों के मानव अधिकार संरक्षण हेतु गठित सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली हेतु स्कीम'' है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ संचालन स्कीम में राज्य के जिला और तहसील स्तर पर आयोग मित्रों का मनोनयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में समस्त जिलों में जिला संयोजक-आयोग मित्रों सहित कुल 91 आयोग मित्र माह दिसम्बर, 2019 तक मनोनीत किए गए हैं। ये आयोग के मानसेवी सहयोगी हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा दिसम्बर, 2019 तक इण्टर्नशिप के सत्रों का आयोजन किया गया। जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के विधि विषय के विद्यार्थी, नियमित पढ़ाई करते हुये इण्टर्नशिप/प्रोजेक्ट वर्क के लिए आयोग में आये। इन सत्रों में 115 विद्यार्थियों ने भाग लेकर इण्टर्नशिप/प्रोजेक्ट कार्य सफलतापूर्वक किया।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय-3 में आयोग अपने कार्य एवं शक्तियों के निर्वहन के उद्देश्य से समय-समय पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर 13 सितम्बर, 2019 को ''**जल के अधिकार-मानव अधिकार**'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने शिरकत की तथा उन्होंने संबोधन के दौरान यह व्यक्त किया कि मानव अधिकार की रक्षा करना आधारभूत सोच में होना जरूरी है, सिर्फ कानून बनाने से मानव अधिकारों की रक्षा नही हो सकती, स्वच्छ जल मिलना मानव अधिकार है, भविष्य में पानी को लेकर जो चुनौतियां सामने हैं इस संदर्भ में राज्य सरकार ने जल का अधिकार कानून बनाने के साथ ही नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जन का अधिकार विषय पर कानून बनाने का निर्णय की सराहना करते हुए माननीय मुख्यमंत्रीजी को बधाई दी तथा इस कानून का मसौदा लगभग तैयार होने तथा स्टेट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पानी उपलब्ध करवाने और उससे जुडे वित्तीय अधिकार प्राप्त होने का बताया तथा संविधान के अनुच्छेद-21 में देश के हर नागरिक को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध एवं साफ जल उपलब्ध कराने का उल्लेख होने की जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारत के जलपुरूष डॉ. राजेन्द्र सिंह ने जल की महत्ता एवं जल की उपयोगिता का महत्व बताते हुए वर्तमान हालत के मद्देनज़र पानी बचाने के लिए हर स्तर पर भरसक प्रयास करने पर जोर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय मावन अधिकार दिवस 10 दिसम्बर, 2019 को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा ''**स्वच्छ पर्यावरण-मानव अधिकार**'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के पूर्व अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र के तीनों अंगो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ने स्वच्छ पर्यावरण को मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वायू, स्वच्छ भूमि और स्वच्छ जल मिले यह उसका मूलभूत और मानवीय अधिकार है। पर्यावरण संरक्षण के लिए तीनों सिद्धांतों क्रमशः प्रदूषण आधारित सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत और संवहनीय विकास आधारित सिद्धांत पर काम की जरूरत होने तथा हम अपने पर्यावरण और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा कि स्वच्छ पर्यावरण हम सभी का

मूलभूत अधिकार है और यह हर किसी को मिलना ही चाहिए क्योंकि इसे न्यायपालिका ने मूलभूत अधिकार माना है। आयोग द्वारा इस अवसर पर पर्यावरण पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आयोग द्वारा मासिक न्यूज लेटर एवं त्रैमासिक ''मानव अधिकार पत्रिका'' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर लघु पुस्तिकाऐं और पोस्टर्स भी प्रकाशित कराए जाते हैं।

आयोग का बजट

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र) मंत्रालय, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए राशि ₹727.41 लाख प्रावधानित आवंटन में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की कुल राशि ₹581.93 लाख का अनुदान आयोग को अब तक प्राप्त हो चुका है। जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा माह दिसम्बर, 2019 तक राशि ₹513.57 लाख का व्यय किया जा चुका है।

प्रशासन एवं जनता में मानव अधिकारों के प्रति संवेदना जागृत हो, इस हेतु आयोग समय-समय पर आवश्यकता अनुसार सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं सभाओं का विशेष आयोजन करता है। समाज के विभिन्न तबकों में मानव अधिकार साक्षरता को फैलाने हेतु प्रकाशन, प्रचार के माध्यम एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से प्रयासरत् हैं। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध रक्षा के उपायों की जानकारी प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का सतत् प्रयास मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकायों तथा पंचायतों को स्थानीय शासन की सक्षम एवं सशक्त इकाईयॉ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन किए गए हैं। इन इकाइयों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इन संशोधनों में किया गया है। इन प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 1994 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 के खण्ड (k) में की गई अपेक्षा के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-01/2006/1/4 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा श्री बसंत प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (म.प्र. 1984) सेवानिवृत, को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 01/01/2019 को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

आयोग के कार्य संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 414 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 द्वारा आयोग की पदस्थापना में स्वीकृत 91 पदों की सहमति प्रदान की गई है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-32/2004/1/4 दिनांक 12 मार्च, 2019 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 21 अस्थाई पद तथा जिला स्तर पर 176 अस्थाई पद इस प्रकार कुल 197 अस्थाई पदों को दिनांक 01/03/2019 से 29/02/2020 तक के लिए प्रर्वतित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ-19-72/2016/1/4, दिनांक 16 जुलाई, 2019 द्वारा आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) के लिए कलेक्टर कार्यालय के अन्तर्गत शेष 28 जिलों के लिए सहायक अधीक्षक के 28 पद एवं समस्त जिलों के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के 51 पद इस प्रकार 79 पदों को दिनांक 01/03/2019 से 29/02/2020 तक के लिए प्रर्वतित किया गया है।

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने हेतु उप सचिव राज्य निर्वाचन आयागे को मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी तथा सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) में जिले में पदस्थ उप जिला निर्वाचन अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत आयोग के निम्नलिखित दायित्व हैः-

1. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करना।
2. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण।
3. इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-47 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-24 में संशोधन के फलस्वरूप अब किसी नगरपालिक निगम के महापौर अथवा किसी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से वापस बुलाये जाने हेतु मतदान कराया जाता है। उक्त मतदान भी आयोग के दायित्वों में सम्मिलित किया गया है।
4. मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के उप सरपंच, जनपद पंचायत/जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

1. जिला पंचायत एवं जनपत पंचायत के रिक्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन सम्पन्न कराए गए:

स.क्र.	जिला	जिला/जनपद पंचायत का नाम	पद	दिनांक
1.	झाबुआ	जिला पंचायत, झाबुआ	अध्यक्ष	22/01/2019
2.	उज्जैन	जिला पंचायत, उज्जैन	अध्यक्ष	23/01/2019
3.	उज्जैन	जिला पंचायत, उज्जैन	उपाध्यक्ष	23/01/2019
4.	ग्वालियर	जनपद पंचायत, घाटीगांव	अध्यक्ष	26/11/2019

2. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-31(2) के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र के प्ररूप-4क, 4ख, 4ग, एवं 4घ के स्थान पर नवीन संशोधित प्ररूप-4 स्थापित किया गया।

3. जिला पंचायत के वार्डो का युक्तिसंगत परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण करने सम्बंधी निर्देश जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए।

4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-12, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 38, 125, 126 एवं 127 में संशोधन की कार्यवाही की गई।

5. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम-33(1) के अंतर्गत पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन लड़ रहे पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित प्रतिभूमि निक्षेप राशि में वृद्धि की गई।

6. पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2019 हेतु प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम दिनांक 28/05/2019 को तथा संशोधित कायक्रम समस्त कलेक्टर्स को दिनांक 27/09/2019 को जारी किया गया। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन दिनांक 16/12/2019 को किया जा चुका है।

7. पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2019 अंतर्गत विभिन्न जिलों के कलेक्टरों द्वारा चाहे गए मार्गदर्शन सम्बंधी निर्देश समस्त कलेक्टर्स हेतु दिनांक 04/11/2019 को जारी किए गए।

8. दिनांक 01/01/2019 की स्थिति में त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण का कार्य ईआरएमएस के माध्यम से पूर्ण कराया गया।

9. आम उप चुनाव वर्ष-2020 के दृष्टिगत पंचायत निर्वाचन सम्बंधी निर्देश पुस्तिकाओं का परिमार्जन कर अद्यतन किया गया।

नगरीय निकाय के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

1. प्रदेश में विभिन्न नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु 01 जनवरी 2019 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम जारी किया गया।

2. मतदाता सूची का कार्य मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम राज्य स्तरीय एजेन्सी से कराया गया एवं जिलों में आने वाली समस्याओं का निराकरण भी किया गया। मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त शिकायतों का भी निराकरण किया गया। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25/09/2019 को कराया गया।

3 वर्ष 2017-18 में गठित एवं वर्तमान में गठित नवीन नगर परिषदों के वार्ड विभाजन एवं आरक्षण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने की अनुशंसा मध्यप्रदेश शासन से की गई।

4 राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) तथा आयोग के मध्य मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण के अनुबंध एवं कार्य का सतत् पर्यवेक्षण किया गया ।

5 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन कराए जाने हेतु विभिन्न पुस्तकों में संशोधन कार्य किया गया। संशोधन पश्चात् अंतिम मुद्रण हेतु प्रेषित की गयी।

6 मध्यप्रदेश शासन द्वारा पारित मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2019 दिनांक 20/12/2019 के अनुक्रम में निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे गए हैं:-

i. मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है।
ii. महापौर/स्पीकर का अप्रत्यक्ष निर्वाचन नियम, 2019 तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है।
iii. पार्षद पद के अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण नियम, 2019

7. नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में संशोधन कर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-533 दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 में प्रकाशित किया गया है।

8. नगरीय निकायों के निर्वाचनों में उपयोग किए जाने वाले प्ररूपों/प्रपत्रों/परिशिष्टों में आवश्यक संशोधन कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को संशोधन प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।

9. मध्यप्रदेश शासन द्वारा पारित मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2019 दिनांक 19/12/2019 में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में धारा-2 के पश्चात धारा-2क प्रस्ताव जोड़ा गया।

ई.व्ही.एम. संबंधी जानकारी

1. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ई.सी.आई.एल., हैदराबाद से 54,000 कंट्रोल यूनिट एवं 1,59,360 बैलेट यूनिट का क्रय किया गया है। ई.सी.आई.एल. भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग का सार्वजनिक उपक्रम है।
2. इस ई.व्ही.एम. से एक साथ आठ पदों का निर्वाचन किया जा सकता है। इस कारण यह बहुपद एवं बहुस्थान (Multipost and Multiseat) के निर्वाचन हेतु उपयोग में लाया जाने वाली ई.व्ही.एम. है।
3. नवीनतम प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद तथा नगरीय निकाय निर्वाचन में वार्ड पार्षद पद के चुनाव ई.व्ही.एम. से कराए जाएंगे।
4. आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे ई.व्ही.एम. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु उपयोग की जा रही ई.व्ही.एम. से पूर्णतः पृथक है। इसकी सबसे बडी विशेषता डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल (डी.एम.एम.) है।
5. प्रत्येक निर्वाचन के बाद कंट्रोल यूनिट में से डीएमएम निकालकर सील करने की कार्यवाही की जाएगी तथा नया डीएमएम लगाकर उसे अगले निर्वाचन के चरण हेतु उपयोग में लिया जाएगा।
6. इस मशीन की निम्नलिखित अन्य विशषताएं भी है:-
    - यूनिक/अद्वितीय क्रम संख्या
    - रियल टाइम क्लॉक (आर.टी.सी.)
    - समय मुद्रांकन
    - टाईम लॉगिंग
    - अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले
    - वार्ड क्रमांक एवं मतदान केन्द्रों का क्रमांक
    - टैंपर संसूचक
    - लेजर मार्किंग

- पी.सी.बी. का संस्थापन
- पॉटिंग
- बैटरी पॉवर स्टैटस
- प्रिंट
- ब्रैल

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नानुसार ऑनलाईन एप्लिकेशन्स को आयोग स्तर पर निर्मित कर कार्य किया जा रहा है :-

1. OLIN (Online Nomination): इस एप्लिकेशन के माध्यम से नगर पालिका और पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवारों को ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र तैयार करने की सुविधा दी गई है। OLIN से सहज, सरल और पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों को त्रुटिरहिता नामनिर्देशन दाखिल करने की सुविधा मिली है। OLIN के माध्यम से ही निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र (शैक्षणिक योग्यता, चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक प्रकरण आदि) का तुलनात्मक सारपत्रक तैयार कर मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को अपने अभ्यर्थियों के बारे में जानने का मौका मिलता है।

2. IEMS (Integrated Election Management System): इस एप्लिकेशन में निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक की समस्त कार्यवाहियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऑनलाईन एक ही प्लेटफार्म पर की जाती है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया सहज एवं सरल हुई है और सूचनाओं का संप्रेषण तीव्र हुआ है।

3. IPIS (Integrated Poll Information System): इस एप्लिकेशन में मतदान संबंधी जानकारियां (मतदान दल की रवानगी, मॉकपोल, मतदान प्रतिशत् आदि) पीठासीन अधिकारी से सीधे SMS के माध्यम से प्राप्त की जाती है। IPIS ने सूचना संप्रेषण को सरल, तीव्र और शुद्ध किया है।

4. EVM Management System: इस एप्लिकेशन से ईव्हीएम से सम्बंधित प्रक्रियाएँ (एफएलसी, रेण्डमाईजेशन, कमीशनिंग आदि) की कार्यवाही की जाती है। EVM का प्रयोग करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

5. "CHUNAV" Mobile App: आयोग द्वारा चुनाव एप बनाया है। एप के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव सम्बंधी जानकारियाँ (मतदान केन्द्र, उम्मीदवार, चुनाव परिणाम, शपथपत्र, मतदाता सूची आदि) प्रदाय की जाती है। एप से मतदाता को ई-मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। ई-मतदाता पर्ची का उपयोग मतदान में वोटर की पहचान के लिए अनुज्ञेय किया गया है।

6. MMS (Material Management System): इस एप्लिकेशन से निर्वाचन सामग्री का ऑनलाईन प्रबंधन किया गया है।

7. Budget Management System: इस एप्लिकेशन से जिला ऑनलाईन वित्तीय मांग प्रेषित करते है और उन्हें ऑनलाईन ही आवंटन उपलब्ध कराया जाता है।

8. LMS (Letter Monitorring System): इस ऑनलाईन एप्लिकेशन में आयोग को प्राप्त होने वाली समस्त डाक को दर्ज कर समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। LMS से प्रकरणों की सूक्ष्म समीक्षा बहुत आसान हो गई है।

9. Court Case Management System और Record Room Management System एप्लिकेशन से सम्बंधित क्षेत्रों का काम ऑनलाईन सम्पादित किया जाता है।

सामग्री प्रबंधन से संबंधित जानकारी

आयोग द्वारा वर्ष 2015 के उत्तारार्द्ध में संपन्न हुए नगरीय/पंचायतों के आम/उप निर्वाचन में नवाचार के तौर पर पूर्व से प्रचलित 32 प्रकार के लिफाफों की संख्या को कम करते हुए नीले/पीले रंग के फाईल फोल्डर एवं मात्र 5 प्रकार के लिफाफों का प्रयोग किया गया।

मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित ER1 परिवर्धन, ER2 विलोपन, ER3 संशोधन और ER4 अपील के नये प्रारूप तैयार किए गए हैं, जो एक बुकलेट के रूप में प्राधिकृत कर्मचारी को दिये जायेंगे।

आम/उप निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र पर उपयोग किए जाने वाले प्रारूपों, प्रपत्रों एवं परिशिष्टों की नगर पालिका निर्वाचन हेतु पी.ओ. बुकलेट और पी.ओ. लीफलेट तैयार की गई है। इसी प्रकार पंचायत निर्वाचन हेतु पी.ओ. बुकलेट और पी.ओ. लीफलेट तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्ररूप, प्रपत्र, परिशिष्टों को समेकित किया गया है, इससे

मतदान दल को वापस करने में आसानी होगी। लीफलेट-पी.ओ. बुकलेट का पायलट प्रोजेक्ट उप निर्वाचन में अत्याधिक सफल रहा। उपरोक्त नवाचार से पीठासीन अधिकारियों के निर्वाचन कार्य काफी सरल हो गए हैं। आयोग द्वारा निर्वाचन में उपयोग की जाने वाली सामग्री का वर्तमान संदर्भ में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है।

निर्वाचन सामग्री प्रबंधन के लिए एक ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाई गई है, जिलों से निर्वाचन सामग्री की ऑनलाईन मांग प्राप्त की जाती है और निर्वाचन सामग्री स्पीड पोस्ट से जिलों को भेजी जाती है। इस व्यवस्था से जिलों से निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने के लिए भोपाल आने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है जिससे कार्य में सुविधा हुई है तथा व्यय में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

नगरपालिका/पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 को दृष्टिगत रखते हुए सामग्री प्रबंधन शाखा द्वारा नगरपालिका/पंचायत-मतदाता सूची पुनरीक्षण बी.एल.ओ. बुकलेट/मतदाता सूची तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका/परिशिष्ट शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से मुद्रण कराई जाकर 52 जिलों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से वितरण की कार्यवाही पूर्ण की गई है। इसी प्रकार नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित 26 प्रकार की पुस्तकें एवं पंचायत से संबंधित 15 पुस्तकें/प्ररूप/प्रपत्र मुद्रण की जाना थी। वर्तमान स्थिति में नगरपालिका निर्वाचन की 14 पुस्तकें शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से मुद्रण कराई जाकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 52 जिलों को प्रेषित की जा चुकी हैं तथा पंचायत निर्वाचन से संबंधित 10 प्रकार के लिफाफे मुद्रण कराए जाकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 52 जिलों को वितरण की कार्यवाही संपादित की जा चुकी है।

मतदाता जागरूकता अभियान (SENCE- Systematic Education Nurturing & Sensitization of Electorate)

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2019-2020 में आयोग द्वारा सेंस से संबंधित निम्नांकित गतिविधियां सम्पन्न कराई गई:-

1. मतदाता जागरूकता हेतु जिले के महाविद्यालयों में परिसर दूतों की नियुक्ति।
2. जिले की एवं जनपद पंचायत की साधारण सभा की बैठकों, नगरीय निकायों की साधारण सभा की बैठकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित बैंकों की बैठकों, स्थानीय एन.जी.ओ. एवं राजनैतिक दलों तथा जनप्रतिनिधियों की बैठकों में ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन।
3. मिडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधियों की बैठकें।
4. जिला स्तर पर राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन एवं जानकारी का प्रदाय।
5. सिविल सोसायटी, संगठनों व निजी प्रतिष्ठानों की बैठकों का आयोजन एवं जानकारी का प्रदाय।

6. महाविद्यालयों, स्कूलों, कार्यालयों, हाट-बाजारों, मेलों, सार्वजनिक स्थानों में ईव्हीएम का प्रदर्शन।
7. मतदाता जागरूकता के लिए विज्ञापन एवं पोस्टर्स, फ्लेक्स, बैनर्स आदि माध्यमों से प्रचार प्रसार।
8. नुक्कड़ नाटक मंडलियों द्वारा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार।
9. ऑनलाईन नामनिर्देश (OLIN) भरने की प्रक्रिया का जनप्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों में प्रचार-प्रसार।
10. चुनाव मोबाईल एप का प्रचार-प्रसार।
11. ई-मतदाता पर्ची के उपयोग हेतु प्रचार प्रसार।
12. नगरीय निकाय चुनाव के अभ्यार्थियों के शपथ पत्र की महत्वपूर्ण जानकारी के सार पत्रक का प्रचार।
13. विविध भारती के विभिन्न चैनलों से मतदाता सूची के प्रचार प्रसार हेतु जिंगल का प्रसारण।

4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति

माननीय मुख्यमंत्रीजी के मिनिट्स दिनांक 19/12/2018 से प्रदेश के समस्त निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों एवं अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ संचालक/ सदस्यों के किए गए मनोनयन निरस्त किए गए हैं।

4.12 राज्य सत्कार कार्यालय

मध्यप्रदेश में राज्य अतिथियों के भ्रमण कार्यक्रम अनुसार उनके स्वागत, विदाई, आवास, परिवहन, भोजन एवं सुरक्षा आदि समस्त प्रोटोकाल का पालन करने हेतु आधुनिक सूचना तकनीक का इस्तेमाल करते हुये पारदर्शी सिस्टम का विकास राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा किया गया है। राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम की विशेषताऐं निम्नानुसार हैं:-

1. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है।
2. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम का अनुसरण छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं उनके समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी किया गया है। राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम का अनुसरण महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा उनके अनुरूप सिस्टम तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।
3. राज्य अतिथि पंजीयन - मध्यप्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथि द्वारा भ्रमण कार्यक्रम कहीं से एवं किसी भी समय राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट

www.stateprotcol.mp.gov.in पर भरा जा सकता है। राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट www.stateprotcol.mp.gov.in पर प्रथम बार भ्रमण कार्यक्रम फीड करने हेतु यूजर रजिस्ट्रेशन कर पासवर्ड प्राप्त करना होगा। राज्य सत्कार कार्यालय द्वारा राज्य अतिथि की श्रेणी एवं सुरक्षा श्रेणी अनुसार अतिथि घोषित करने संबंधी अप्रुवल प्रदान करने पर आदेश तैयार हो जायेगा। राज्य अतिथि घोषित करने संबंधी आदेश संबंधित राज्य अतिथि/संभाग आयुक्त/कलेक्टर/जिला प्रोटोकाल अधिकारी/राज्य सत्कार कार्यालय को तत्काल ई-मेल पर प्राप्त होगा। राज्य अतिथि के आवास/परिवहन व्यवस्थाओं यथा रूकने के स्थान का पूरा विवरण कक्ष क्रमांक की जानकारी राज्य अतिथि को वेबसाइट के माध्यम से उनके यूजर रजिस्ट्रेशन/पासवर्ड से ज्ञात हो सकेगी।

4. **प्रोटोकाल मेन्युअल** - राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट पर प्रोटोकाल मेन्युअल की लिंक में सत्कार व्यवस्था से संबंधित सभी आदेश उपलब्ध रहेंगे।

5. **संचार** - सत्कार व्यवस्था से संबंधित समस्त कलेक्टर/जिला प्रोटोकाल अधिकारी/ स्टेट प्रोटोकाल कार्यालय के सभी अधिकारियों के अद्यतन दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर उपलब्ध रहेंगे।

6. **एसएमएस अलर्ट** - वेबसाइट के माध्यम से राज्य अतिथि के जिले में आगमन के पूर्व राज्य शिष्टाचार अधिकारी/संबंधित कलेक्टर/जिला प्रोटोकाल अधिकारी को भ्रमण की जानकारी एसएमएस द्वारा भेजने की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में कराई जा रही है, जिससे राज्य अतिथि की सत्कार व्यवस्था में कोई चूक न हो।

7. **डेली विजिटर्स लिस्ट** - वेबसाइट के होम पेज पर प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथियों की सूची प्रतिदिन वेबसाइट पर आम जनता की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेगी।

8. **सिक्युरिटी ऑडिट** - महत्वपूर्ण वीआईपी एवं वीवीआईपी के कार्यक्रमों/व्यवस्थाओं की पूर्ण गोपनीय एवं सुरक्षा हेतु वेबसाइट का सिक्युरिटी ऑडिट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से कराया गया है।

9. **व्ययों की स्वीकृति** - राज्य अतिथि के आवास, परिवहन, भोजन आदि पर होने वाले व्ययों की स्वीकृति संबंधी आदेश तथा भुगतान संबंधी विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से जारी किए जा सकेगें।

10. **राज्य अतिथियों की सूची** - वेबसाइट एवं विकसित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे वर्ष भर प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों से संबंधित व्यवस्था एवं हुये व्यय का संपूर्ण विवरण एक क्लिक पर राज्य सत्कार कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, जिससे राज्य अतिथियों की सत्कार व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी।

- **प्रदेश में सत्कार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण**
- **मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम में संशोधन** - मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 1958 में व्यापक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम, 2011 प्रकाशित किया गया है। मुख्य संशोधन राज्य अतिथियों का सूची-अ एवं ब में वर्गीकरण, शासकीय एवं अशासकीय प्रवास, अवधि, सुरक्षा, वाहन व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था में किया गया है।

- **सुरक्षा व्यवस्था** - प्रदेश में राज्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण पर सुरक्षा, पायलट एवं फालो संबंधी प्रावधान को स्पष्ट करते हुये विस्तृत निर्देश गृह विभाग द्वारा जारी किए गए।

- **परिवहन व्यवस्था** - राज्य अतिथियों एवं मध्यप्रदेश के वीआईपी एवं वीवीआईपी के सत्कार व्यवस्था हेतु शासकीय वाहनों का अधिग्रहण प्रतिबंधित किया जाकर परिवहन व्यवस्था हेतु निजी ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

- **राज्य अतिथियों की सत्कार व्यवस्था** - राज्य सत्कार कार्यालय वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ''आतिथ्य पर व्यय'' मद में ₹05.11 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया, जिसका उपयोग मध्यप्रदेश भ्रमण पर रहे राज्य अतिथियों के आवास, परिवहन, खानपान आदि पर व्यय किया गया।

- **जिला प्रोटोकाल अधिकारी** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को पदेन जिला प्रोटोकाल अधिकारी तथा इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में संयुक्त कलेक्टर को जिला प्रोटोकाल अधिकारी नामित किया गया है।

- **सत्कार शाखा** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में कलेक्ट्रेट में सत्कार शाखा गठित किए जाने एवं सत्कार शाखा में अमले की व्यवस्था संबंधी आदेश जारी किया गया है।

- **मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति** - प्रदेश के समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारी को मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- **आवश्यक संसाधन** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित सत्कार शाखा को टेलीफोन, कम्प्यूटर मल्टीफंक्शनल प्रिन्टर मय फैक्स, कम्प्यूटर हेतु बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

- **वाहन व्यवस्था** - इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में जिला प्रोटोकाल अधिकारी को किराए के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी किया गया है।

- **ई-मेल एड्रेस** - प्रदेश के सभी जिला प्रोटोकाल अधिकारियों का ई-मेल खाता एनआईसी पर खोला जाकर सूचनाओं का आदान प्रदान ई-मेल के माध्यम से किया गया।

- **मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस (पूर्वताक्रम) - 2011** - मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स, 1964 का केन्द्रीय एवं अन्य राज्यों के ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स के अनुरूप बनाने तथा नवीन पदों/कार्यालयों के सृजन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश का नवीन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स, 2011 प्रकाशित किया गया है।

- **वी.वी.आई.पी. अतिथियों का आगमन** - प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 770 राज्य अतिथियों सहित अन्य विशिष्ट महानुभावों एवं अन्य विदेशी गणमान्य अतिथियों का आगमन हुआ।

भाग - दो

5. बजट

5.1 मांग संख्या - 01

सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्थापनाओं के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक
1.	राज्यपाल सचिवालय	1	2012	मतदेय - 1,25,93 भारित - 13,47,68	- भारित - 1,22,93
2.	मंत्रि परिषद के सदस्यों का वेतन एवं पेट्रोल, अन्य व्यय एवं स्वेच्छानुदान	1	2013	मतदेय - 1,24,78,98	मतदेय - 50,00,00
3.	राज्य निर्वाचन आयोग	1	2015	मतदेय - 1,38,36,90 भारित - 10,00	मतदेय - 30,00,00
4.	लोक सेवा आयोग	1	2051	मतदेय - 19,20 भारित - 45,97,60	-
5.	सचिवालय सामान्य सेवाएं/ जन शिकायत निवारण/ राज्य मंत्रालय के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता/ सार्वजनिक उपक्रम विभाग सूचना प्रोद्योगिकी, आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली, विशेष आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	1	2052	मतदेय - 1,60,66,69 भारित - 1,20	-
6.	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सूचना प्रौद्योगिकी कार्य	1	2055	मतदेय - 27,06,31 भारित - 4,00,00	-
7.	आयुक्त म.प्र.भवन/ मुख्य तकनीकी परीक्षक	1	2059	मतदेय - 9,50,27	-
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं - प्रशासन अकादमी/ लोकायुक्त कार्यालय/ विभागीय जांच आयोग	1	2070	मतदेय - 52,31,03 भारित - 60	-
9.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (इंदिरा गांधी सौहार्द पुरस्कार योजना)	1	2235	मतदेय - 1,64	-
10.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	1	2251	मतदेय - 38,61,62	-
11.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1	3451	मतदेय - 31,61,69	-
12.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लोक सेवा केन्द्रो का निर्माण एवं मध्यांचल भवन का निर्माण प्रशासन अकादमी एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो	1	4059	मतदेय - 77,65,08	मतदेय - 7,27,25
13.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय सरकारी रिहायशी भवन/साधारण पूल आवास	1	4216	मतदेय - 5,00,00	-
	मांग संख्या - 01 योग			**मतदेय - 6,67,05,34** **भारित - 63,57,08**	**मतदेय - 87,27,25** **भारित - 1,22,93**

बजट

5.2 मांग संख्या - 02

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक
1.	सचिवालय सामान्य सेवाएं (अन्य कार्यालय)	2	2052	मतदेय - 7,27,45	-
2.	जिला प्रशासन (गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण)	2	2053	मतदेय - 1,04,55	-
3.	विशेष जांच आयोग/सरदार सरोवर परियोजना/ सत्कार कार्यालय एवं राज्य सूचना आयोग	2	2070	मतदेय - 17,73,23	मतदेय - 29,00
4.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना/ लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि/ दुर्घटना में मृतकों के परिवार को सहायता)	2	2235	मतदेय - 73,30,80	-
5.	अन्य सामाजिक सेवाएं (अन्य संस्थाओं को अनुदान/ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार)	2	2250	मतदेय - 32,25	-
	मांग संख्या - 02 योग			**मतदेय - 99,68,28**	**मतदेय - 29,00**

भाग - तीन

6. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजना

(अ) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के प्रशासनिक भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग, नया भोपाल संभाग भोपाल द्वारा संपादित किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भवन का लोकार्पण दिनांक 28/02/2012 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किए जाने के फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यालय दिनांक 01/08/2012 से नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय भवन में संचालित हो रहा है।

(ब) आधुनिक उन्नयन योजना अंतर्गत कार्यालय को नवीन तकनीकी संसाधनों से युक्त करने के लिए अत्याधुनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. एवं सी-डैक के माध्यम से स्थापित किया गया है एवं प्रकोष्ठ में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, डाक्यूमेंट डिवीजन तथा आधुनिक लैब एवं आरकाइव की सुविधा उपलब्ध है।

2. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ नवीन इकाई सागर एवं उज्जैन

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाने हेतु जिला सागर एवं उज्जैन में पृथक यूनिट को स्थापित करने हेतु दिनांक 30/09/2013 को शासन स्वीकृति प्रदाय की गई है। प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन द्वारा दिनांक 06/12/2014 से कार्य प्रारंभ कर दिया है एवं प्रकोष्ठ इकाई सागर द्वारा दिनांक 18/06/2018 से कार्य प्रारंभ कर दिया है।

3. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्यालय एवं आवास निर्माण योजनाऐं गतिशील हैं:-

(अ) प्रकोष्ठ इकाई, रीवा कार्यालय एवं आवास निर्माण कार्य योजना

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजना की कुल लागत राशि ₹9,90,00,000/- है। इस योजना हेतु शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं सैद्धांतिक स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान की जा चुकी है। इस योजना हेतु वर्ष 2019-20 हेतु राशि ₹3,00,00,000/- का प्रस्ताव बजट आवंटन हेतु शासन को प्रस्तुत किया गया था जिसमें से शासन द्वारा राशि ₹1,45,00,000/- का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के निर्देश के पालन में राशि ₹30,00,000/- लोक निर्माण विभाग को आवंटित की गई है।

(ब) प्रशासनिक भवन भोपाल निर्माण कार्य योजना

भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य योजना की कुल लागत राशि ₹7,51,11,234/- है। इस योजना की शेष राशि ₹12.79 लाख लोक निर्माण विभाग को आवंटित की गई है। इस वित्तीय वर्ष में यह योजना समाप्त होना संभावित है।

(स) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में निम्न कार्यालय स्वयं के भवन में स्थापित होकर कार्य कर रहे हैं:-

क. भोपाल, प्रशासनिक भवन।
ख. प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर कार्यालय।
ग. प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर कार्यालय।
घ. प्रकोष्ठ इकाई इंदौर कार्यालय।

भाग - चार

7. जांच आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न घटनाओं की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा-3 के प्रावधान के अंतर्गत जांच आयोग का गठन किया जाता है। राज्य शासन द्वारा विगत वर्षो में गठित जांच आयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त/अप्राप्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की अनियमितताओं की जांच हेतु जांच आयोग।	एफ 22-15/2005/1-10 दि. 08/02/2008	मान. न्यायमूर्ति श्री एन. के. जैन	दि. 15.09.2012 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	सामाजिक न्याय विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।
2.	भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग।	एफ 24-09/2010/1-10 दि. 25/08/2010	मान. न्यायमूर्ति श्री एस. एल. कोचर	दि. 24.02.2015 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित
3.	जिला भिण्ड गोली चालन घटना न्यायिक जांच आयोग।	एफ 24-01/2012/1-10 दि. 12/07/2012	मान. श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दि. 31.12.2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही हेतु गृह विभाग को दिनांक 17/01/2018 को भेजा गया।
4.	गोसपुरा नं.02 मानमंदिर, ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु जांच आयोग।	एफ 24-3/2015/1-10 दि. 17/08/2015	मान. श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दि. 09.01.2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
5.	पेटलावद जिला झाबुआ में हुए विस्फोट घटना जांच आयोग।	एफ24-05/2015/1-10 दि. 15/09/2015	मान. न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय	दि. 11.12.2015 को जांच प्रतिवेदन मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त।	दिनांक 06/04/2016 को गृह विभाग भेजा गया। कार्यवाही प्रचलित।
6.	पेटलावद में मोहर्रम जुलूस को रोके जाने की घटना जांच आयोग।	एफ 24-9/2016/1-10 दि. 20/11/2016	मान. श्री राजकुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दि. 20.11.2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	दि. 05.07.2019 को जांच प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा गया।
7.	मंदसौर में घटित घटना जांच आयोग।	एफ 24-6/2017/1-10 दि. 12/06/2017	मान. न्यायमूर्ति श्री जे.के.जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय	जांच प्रतिवेदन प्राप्त।	दि. 14.06.2018 को जांच प्रतिवेदन गृह विभाग को भेजा गया।

भाग - पांच

8. अभिनव योजना/कार्य

(1) दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(2) मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु एक्वागार्ड व्यवस्था निरन्तर जारी है।

(3) शासकीय अभिलेखों को डिजिटल करने, कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने, काम की गति व पारदर्शिता को बढावा देने और कागजरहित स्वच्छ कार्यप्रणाली के उद्देश्य से राज्य मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली 02/04/2018 से लागू की गई है।

भाग - छः

9. निकाले जा रहे प्रकाशन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के वर्षवार संकलन का प्रकाशन वर्ष 2015 तक किया गया है। वर्ष 2016 से संकलन का प्रकाशन न किया जाकर निर्देशों को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है।

भाग - सात

10. महिला सशक्तिकरण

राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग महिलाओं के समग्र विकास के लिए नीतियों के निर्माण एवं उसके पालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि 19 मई, 1999 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी विभागों में समितियों के गठन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सभी विभागों को उनके प्रशासनिक प्रतिवेदन में जेण्डर मुद्दों से संबंधित चेप्टर सम्मिलित करने के निर्देश पत्र क्रमांक एफ 11-19/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 08/05/2015 के द्वारा जारी किए गए हैं। इसी तरह सभी विभागों को जेण्डर रिस्पोंसिव बजट की विभागीय स्तर समीक्षा एवं निगरानी के लिए जेण्डर सेल के गठन के भी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से दिये गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर भी पत्र क्रमांक एफ 11-07/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 15/02/2016 के माध्यम से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में जेण्डर सेल का गठन किया गया।

जेण्डर संवेदनशीलता पर अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी बिन्दु को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावाली में जोड़ने के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक 1017/11-26/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 07/08/2015 के द्वारा सभी विभागों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नानुसार संशोधन किया है:-

''किन्ही सेवा नियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेण्टल एंड कम्पार्टमेंटवाइस) होगा।''

भाग - आठ

11. सारांश

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का प्रमुख विभाग है जो सभी विभागों का समन्वय कर राज्य शासन की नीति/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक सेवकों की सेवा से संबंधित नियम/निर्देश, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं विभागीय जांच संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही लोकायुक्त संगठन, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओ के प्रशासकीय विभाग का कार्य करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, निःशक्तजनों, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों तथा महिलाओं के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही शासकीय सेवा में इनके प्रतिनिधित्व की मॉनिटरिंग करता है।

जाति प्रमाण पत्र बनाने में आमजन को आ रही कठिनाई को दूर करते हुए इसका सरलीकरण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं अनुप्रमाणित शपथ पत्र के स्थान पर स्व घोषणा-पत्र लागू करने तथा दस्तावेज के स्व-प्रमाणीकरण को मान्य किया गया।

संवेदनशील प्रशासन को महत्व देते हुए विभाग के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध कराने के साथ ही सभी संवर्गों के समयमान वेतनमान संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। वरिष्ठता सूचियां भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा विभागीय जांच एवं शिकायतों के प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया गया।

भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से गठित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए उसका आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया गया है।

सुशासन की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा अनेक नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

: : :

परिशिष्ट - एक

सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों में कार्य आवंटन

कक्ष

1. कक्ष क्रमांक -1

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राजभवन
3. मंत्रि परिषद् (गठन, शपथ-विधि, मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, बजट)
4. मंत्रि परिषद् की बैठक
5. मंत्रि परिषद् उप समितियों के गठन
6. मंत्रियों के विवेकाधीन निधि/जनसंपर्क दौरे/जनसंपर्क अनुदान
7. उच्च न्यायालय
8. लोक सेवा आयोग
9. प्रशासनिक अधिकरण
10. विलीनीकृत रियासतों से संबंधित मामले

    अर्थात

    (एक) एकीकरण करार

    (दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियां निजी संपत्ति, और उनके परिवार के सदस्यों को भत्ते

    (तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रुप में मनाये जाने वाले समारोह

11. वारंट ऑफ प्रेसिडेन्स

2. कक्ष क्रमांक -2(1)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित स्थापना विषयक कार्य

1. नियुक्ति, सीधी भरती, विभागीय परीक्षा
2. प्रशिक्षण
3. गोपनीय प्रतिवेदन
4. पदोन्नति एवं क्रमोन्नति
5. सेवानिवृत्त
6. कैरियर प्लानिंग

7. वरिष्ठता निर्धारण, पदक्रम सूची
8. विधान सभा प्रश्न
9. न्यायालयीन प्रकरण
10. सूचना का अधिकार
11. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन
12. स्थानान्तरण
13. अवकाश स्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवावृद्धि
14. परीक्षा अनुमति, परीक्षा में छूट
15. राज्य सीमा से बाहर की यात्रा

3. कक्ष क्रमांक -2(2)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित विजिलेंस विषयक कार्य

1. विभागीय जांच/अपील
2. अभियोजन, शिकायत
3. अचल संपत्ति विवरण
4. पेंशन
5. निलंबन एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. विधान सभा प्रश्न
7. न्यायालयीन प्रकरण
8. सूचना का अधिकार
9. वेतन निर्धारण
10. गृह निर्माण अग्रिम
11. जीआईएस/जीपीएफ आदि

4. कक्ष क्रमांक -3

1. शासकीय सेवकों की सेवा की सामान्य शर्ते
2. शासकीय सेवकों के विषय में आचरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी नियम/निर्देश
3. अस्थाई एवं अर्द्ध स्थाई सेवा नियम
4. सेवा भरती नियम
5. सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के मार्गदर्शी निर्देश
6. तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति के नियम/निर्देश/प्रतिनियुक्ति
7. हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन परीक्षा सम्बन्धी नियम/निर्देश

8. मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013
9. अतिशेष कर्मचारियों का संविलियन
10. अनुकम्पा नियुक्ति
11. स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक (डाक्टरेट) उपाधियां प्राप्त करने एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित अग्रिम वेतन वृद्धि
12. शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य
13. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कार्य
14. तदर्थ रुप से कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण, भरती नियम आदि
15. कर्मचारी संघो द्वारा समय-समय पर दिये गए ज्ञापनों/मांगो पर कार्यवाही
16. वेतनमानों का युक्तियुक्तकरण
17. वेतनमान/वेतनमान विसंगति के प्रकरण/वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं
18. पदनाम परिवर्तन
19. विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को राजपत्रित घोषित किया जाना

5. कक्ष क्रमांक - 4(1)

1. राज्यपाल का अभिभाषण/कृतज्ञता ज्ञापन
2. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
3. शासकीय भवनों का नामकरण
4. संसद सदस्यों की बैठक
5. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच समन्वय
6. सचिव समिति/विभिन्न समितियों का गठन
7. मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल भवन नई दिल्ली तथा मुबंई स्थित परिसम्पतियों से सम्बन्धित समस्त कार्य
8. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत
9. राज्य चिन्ह
10. छुट्टियां
11. शासकीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय केलेण्डर
12. विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दो पर सामान्य निर्देश/अभिमत
13. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन
14. राज्य अतिथिगृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
15. पारितोषक और अलंकरण
16. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि

17. राष्ट्रपति से अलंकृत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
18. राष्ट्रीय त्यौहार
19. राज्य के उत्सव और समारोह
20. संयुक्त राष्ट्र संघ
21. राजपत्र (असाधारण/राजपत्रों का प्रदाय)
22. महत्वपूर्ण घटनायें
23. विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना संदेश (शोक)
24. विभिन्न मांग पत्र
25. टैरीटोरियल आर्मी
26. फील्ड फायरिंग रेंजेज
27. ऐसे विषय जो शासन के किसी विभाग को आवंटित न हो
28. भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र से संबंधित कार्य
29. सामान्य चुनाव-सामान्य निर्देश, शिकायतें आदि
30. घोषणाएं-माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण

6. कक्ष क्रमांक 4(2) (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)

राज्य पुनर्गठन से संबंधित समस्त कार्य

7. कक्ष क्रमांक 5

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानान्तर, पदोन्नति, सेवा नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति
2. गृह निर्माण, वाहन अग्रिम आदि
3. अवकाश, प्रशिक्षण
4. राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन
5. वरिष्ठता निर्धारण, सिविल सूची, संवर्ग परिवर्तन
6. गोपनीय चरित्रावली का संधारण, अखिल भारतीय (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अनुसार 2007-08 से आगे के वर्षों के वार्षिक पी.ए.आर. डिस्क्लोज करने तथा प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण
7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, स्थाईकरण
8. विभिन्न राज्यों के लोक सभा/विधान सभा चुनाव के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति

8. कक्ष क्रमांक 6

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. शिकायतें, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच
2. संपत्ति प्रपत्र का संधारण आदि
3. सेवा अभिलेखों का संधारण
4. वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, पेंशन, केन्द्रीय समूह बीमा योजना, जी.आई.एस.आदि लेखा संबंधी कार्य.
5. मंत्रालय सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं अवरसचिव, उपसचिव, अपर सचिव, मान. मंत्रीजी के विशेष सहायक के सेवा अभिलेखों का संधारण वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, वेतन पर्ची जारी करना

9. कक्ष क्रमांक 7(1)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. नियुक्ति
2. पदोन्नति
3. परिवीक्षा/स्थायीकरण
4. पदस्थापना
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. पद निर्माण
7. कर्मचारियों के बायोडाटा का कम्प्यूटरीकरण
8. मंत्री स्थापना में स्टाफ की पूर्ति
9. बैंक ऋण
10. विभाग/कक्षों के कार्य बोझ का अध्ययन
11. आई. टी. सेल
12. गोपनीय प्रतिवेदन
13. पदक्रम सूची
14. मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति
15. मंत्रालय से अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति
16. लेखा प्रशिक्षण
17. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
18. मंत्रालयीन कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण
19. 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में छानबीन समिति की कार्यवाही

10. कक्ष क्रमांक 7(2)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. पेंशन

2. वेतन निर्धारण
3. वार्षिक एवं अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति
4. अचल संपत्ति का रख रखाव/चल-अचल संपत्ति क्रय/विक्रय की सूचना ग्राह्य करने की कार्यवाही।
5. अवकाश स्वीकृतियां
6. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 के अंतर्गत स्वीकृतियां
7. मध्यप्रदेश समूह बीमा योजना 1985 एवं मध्यप्रदेश परिवार कल्याण निधि योजना 1974 के अंतर्गत स्वीकृतियां, म.प्र. शासकीय कर्मचारी, बीमा-सह-बचत योजना, 2003
8. मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत स्वीकृतियां
9. गृह भाड़ा भत्ता एवं सचिवालय भत्ता की स्वीकृतियां
10. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम तथा यात्रा सुविधा नियमों के अंतर्गत दावों की स्वीकृतियां
11. मूलभूत नियमों के अंतर्गत मानदेय एवं फीस की स्वीकृतियां
12. अनुग्रह, अनुदान एवं विशेष वेतन स्वीकृतियां
13. सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण

11. कक्ष क्रमांक 7(3)

मंत्रालयीन सेवा एवं गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. गैर मंत्रालयीन सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर) के अधिकारियों की पदस्थापना
2. मंत्रालयीन सेवा के अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव/अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति
3. वेतन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि
4. अवकाश स्वीकृति
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिकायतें
6. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति
7. वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम आदि
8. अचल संपत्ति विवरण का रख-रखाव एवं क्रय स्वीकृति आदि
9. गोपनीय प्रतिवेदन

12. कक्ष क्रमांक 8

विधान सभा से संबंधित समन्वय का कार्य

1. सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त होने वाले अन्य विभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनायें, स्थगन प्रस्ताव का विभागों को आवंटन तथा विधान सभा आश्वासन, अपूर्ण उत्तरों का समन्वय
2. विभागीय समन्वय कार्य

3. विभागीय डाक वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य
4. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
5. न्यायालयीन प्रकरणों का समन्वय कार्य
6. विभागीय लोक लेखा समिति से संबंधित समन्वय कार्य

13. कक्ष क्रमांक 9(1)

1. प्रशासन अकादमी
2. प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण
3. मध्यप्रदेश की राज्य प्रशिक्षण नीति
4. विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण संस्थाओं में समन्वय
5. म. प्र. सेटकॉम (सेटेलाइट प्रशिक्षण)
6. राज्य प्रशिक्षण परिषद
7. एकल नस्ती एवं राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था
8. सामान्य पुस्तक परिपत्र का पुनरीक्षण
9. मंत्रालय में फाइल मूव्हमेंट सिस्टम
10. मुख्य सचिव मॉनिटरिंग, उच्च प्राथमिकता योजनाओं का समन्वय, घोषणा-पत्र का समन्वय कार्य
11. सचिवालय पुस्तिका का पुनरीक्षण

14. कक्ष क्रमांक 9(2)

1. जिला सरकार प्रणाली
2. द्वि-स्तरीय शासन प्रणाली
3. ग्राम सरकार के गठन का समन्वय
4. प्रभारी सचिवों की नियुक्ति
5. निरीक्षण एवं निरीक्षण रोस्टर
6. सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य कक्षों के विषय छोड़कर शेष का अंतर विभागीय समन्वय
7. टास्क समूह के प्रतिवेदनों पर कार्यवाहीयां/चुनाव घोषणापत्र पर कार्यवाही
8. स्थानांतरण नीति
9. गोपनीय चरित्रावली
10. विभिन्न विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन
11. विघटित कक्ष-9 के अवशेष कार्य
12. नवगठित जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था
13. अंतर्राज्यीय परिषद/मध्यक्षेत्रीय परिषद

14.मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री/मुख्य सचिवों की बैठक, संभागीय आयुक्त/कलेक्टर्स की बैठक

15.विभागाध्यक्ष घोषित करना

16.महिला नीति

17.जनसुनवाई कार्यक्रम

18.मंथन

15. कक्ष क्रमांक 10

1. लोकायुक्त संगठन
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन
3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण, निवारण अधिनियम तथा इसके अंतर्गत कार्रवाई
4. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित प्रकरण तथा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य
5. अचल संपत्ति विवरण
6. जाली मेडिकल बिलों पर नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य
7. जनता की शिकायतों के निवारण हेतु अनुविभागीय समितियां
8. जांच आयोग एवं समितियां

16. कक्ष क्रमांक 11

1. मंत्रालयीन अभिलेख, अभिलेखागार
2. पुस्तकालय
3. कनिष्ट सेवा चयन मण्डल

17. कक्ष क्रमांक 12(1)

1. मंत्रालय में कक्षों का आवंटन
2. मंत्रालय, वल्लभ भवन की साफ-सफाई व्यवस्था
3. मंत्रालय में होने वाली बैठकों की व्यवस्था
4. मंत्रालय के लिए फर्नीचर, क्रय मंत्रिगण/अधिकारियों द्वारा वांछित सामग्री की व्यवस्था
5. मंत्रालय में स्टेशनरी प्रदाय
6. कम्प्यूटर, फोटो कापीयर, टाईपराइटर, डुप्लीकेटिंग, घड़ियों की व्यवस्था/रखरखाव
7. लिफ्ट, पानी तथा विद्युत व्यवस्था
8. मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवेश-पत्र
9. सेन्ट्रल डाक व्यवस्था
10. वर्दी का प्रदाय
11. पार्किंग व्यवस्था, केंटीन व्यवस्था एवं रद्दी नीलामी

18. कक्ष क्रमांक 12(2)

1. मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना/पदस्थापना
2. मंत्रिगणों की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन, वेतनवृद्धि, पेंशन आदि
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम-अनाज, आदि

19. कक्ष क्रमांक 13

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना
2. राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को राज्य सम्मान निधि
3. केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरणों का केन्द्रीय पेंशन नियमों के अंतर्गत शासन की अनुशंसा प्रेषित करना
4. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को सम्मान निधि, मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता तथा गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता, बजट प्रावधान/आवंटन
5. मीसा/डी.आइ.आर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

20. कक्ष क्रमांक 14 (तीन कक्ष हैं)

1. मंत्रालय का लेखा संबंधी कार्य
2. सामान्य प्रशासन विभाग के बजट का समन्वय
3. वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त अन्य कार्य

21. कक्ष क्रमांक 15

1. राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद का गठन, बैठक
2. कर्मचारी संघों को पत्राचार की मान्यता प्रदाय करना
3. विभागीय/विभागाध्यक्ष/संभाग/जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समितियों के गठन की जानकारी
4. सतर्कता समिति की बैठकों से संबंधित कार्य
5. संयुक्त परामर्शदात्री समिति
6. पत्राचार की सुविधा प्राप्त कर्मचारी संघों से प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही।

प्रकोष्ठ

1. आरक्षण प्रकोष्ठ

1. लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण आदि से संबंधित अधिनियम/नियम/निर्देश तथा उनका समन्वय कार्य
2. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के तहत की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करना

3. भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों की नियुक्तियों में आरक्षण तथा सुविधाओं से संबंधित नियम/निर्देश
4. महिलाओं के लिए राज्य शासन की सेवाओं में आरक्षण संबंधी नियम/निर्देश
5. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन-समन्वय

2. मानव अधिकार प्रकोष्ठ

1. मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत से संबंधित समस्त कार्य

3. पेंशन प्रकोष्ठ

1. मंत्रालय सेवा के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का अन्तिम निराकरण कराया जाना.
2. मंत्रालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित कार्य
3. राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का परीक्षण एवं उनका अन्तिम निराकरण कराया जाना आदि

4. पंच-ज प्रकोष्ठ

जन, जल, जंगल, जमीन एवं जानवरों से संबंधित शासन द्वारा घोषित कार्यक्रम एवं समन्वय कार्य.

5. स्थानान्तर प्रकोष्ठ

प्रथम श्रेणी अधिकारियों से प्राप्त स्थानान्तरण संबंधी अभ्यावेदन पर कार्यवाही

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रशासनिक कार्य

7. सुशासन प्रकोष्ठ

दिनांक 27-28/09/2014 को मंथन-2014 का आयोजन किया गया।

8. मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रि-परिषद की बैठक की तैयारी एवं बैठक का आयोजन

9. सत्कार कार्यालय

1. राज्य अतिथि घोषित करना, उनकी अगवानी बिदाई तथा उनके आतिथ्य से संबंधित अन्य व्यवस्था
2. अतिविशिष्ट गणों के प्रदेश भ्रमण पर अगवानी, बिदाई, परिवहन व्यवस्था आदि
3. शासकीय भोज के आयोजन पत्र के निमंत्रण संबंधी व्यवस्था
4. व्हीआईपी गेस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस में कक्ष आरक्षण
5. विभिन्न राज्यो के सत्कार कार्यालयों से समन्वय

परिशिष्ट - दो

राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची

एक	सामान्य प्रशासन विभाग
दो	गृह विभाग
तीन	जेल विभाग
चार	वित्त विभाग
पांच	वाणिज्यिक कर विभाग
X छः	(विलोपित - धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग - 03/01/2019)
सात	राजस्व विभाग
आठ	परिवहन विभाग
नौ	खेल और युवा कल्याण विभाग (दिनांक 16/07/2007 से परिवर्तित)
दस	वन विभाग
ग्यारह	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (05/10/2018 से परिवर्तित नाम)
बारह	खनिज साधन विभाग
तैरह	ऊर्जा विभाग
चौदह	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (04/01/2007 से कृषि विभाग का परिवर्तित नाम)
पंद्रह	सहकारिता विभाग
सौलह	श्रम विभाग
सतरह	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
अठारह	नगरीय विकास एवं आवास विभाग (30/06/2016 से नाम परिवर्तित)
उन्नीस	लोक निर्माण विभाग
बीस	स्कूल शिक्षा विभाग
इक्कीस	विधि और विधायी कार्य विभाग
बाईस	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
तैईस	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग
चौईस	जनसंपर्क विभाग
पच्चीस	आदिम जाति कल्याण विभाग (दिनांक 23/03/2019 से नाम परिवर्तित)
छब्बीस	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (दिनांक 11/09/2013 से परिवर्तित)
सत्ताईस	नर्मदा घाटी विकास विभाग
X अट्ठाईस	(विलोपित - पुनर्वास विभाग - 19/07/2016)
उन्नतीस	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
तीस	संस्कृति विभाग
इकत्तीस	जल संसाधन विभाग
X बत्तीस	(विलोपित - आवास और पर्यावरण विभाग - 15/07/2014)

तैंतीस	पर्यटन विभाग
चौंतीस	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पैंतीस	पशुपालन विभाग
छत्तीस	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (दिनांक 17/05/2012 द्वारा नाम परिवर्तन)
X सैंतीस	(विलोपित-डेयरी विकास - 03/01/2000)
अड़तीस	उच्च शिक्षा विभाग
X उन्तालीस	(विलोपित - लघु सिंचाई - 24/12/1986)
X चालीस	(विलोपित - आयाकट - 17/08/2001)
इकतालीस	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (दिनांक 12/02/2015 द्वारा नाम परिवर्तन)
बयालीस	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (दिनांक 01/01/2018 द्वारा नाम परिवर्तन)
X तिरतालीस	(विलोपित - बीस सूत्र कार्यान्वयन - 17/09/2010)
X चौवालीस	(विलोपित - सार्वजनिक उपक्रम विभाग - दिनांक 19/03/2014)
पैंतालीस	विमानन विभाग
X छयालीस	(विलोपित - नगरीय कल्याण - 22/08/1998)
सैंतालीस	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
अड़तालीस	संसदीय कार्य विभाग
X उनन्चास	(विलोपित - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण - 22/11/1990)
पचास	महिला एवं बाल विकास विभाग
X इक्यावन	(विलोपित - बायो गैस विकास - 06/07/1992)
बावन	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (13/10/2010)
X तिरपन	(विलोपित - जन शिकायत निवारण विभाग - 09/05/2017)
चौवन	पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
पचपन	चिकित्सा शिक्षा विभाग
X छप्पन	(विलोपित - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - 28/07/2014)
X सत्तावन	(विलोपित - जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) विभाग - 25/08/2014)
अट्ठावन	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग (22/12/2005)
उनसठ	आयुष विभाग (09/09/2008)
साठ	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग (05/10/2010)
इकसठ	लोक सेवा प्रबंधन विभाग (06/09/2010)
बासठ	विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग (22/06/2011)
तिरेसठ	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (21/07/2011)
चौसठ	प्रवासी भारतीय विभाग (15/05/2015)
पेंसठ	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (05/04/2016)
छियासठ	पर्यावरण विभाग (30/06/2016)
X सढ़सठ	(विलोपित - आनंद विभाग - 03/01/2019)
अड़सठ	अध्यात्म विभाग (03/01/2019)

-:-:-:-

मध्यप्रदेश माध्यम/2020
विकास आफसेट, भोपाल